

## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान

### प्रेस नोट

भू—आवंटन नीति—2015 की समीक्षा के उपरान्त  
लागू/प्रस्तावित/नवीन संशोधन की रिपोर्ट (प्रारूप) पर  
आमजन/हितधारकों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा वर्तमान में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति—2015 लागू है, जिसमें समय—समय पर विभिन्न अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र जारी कर प्रावधानों को प्रतिस्थापित/विलोपित, संशोधित एवं नवीन प्रावधान जोड़े गये हैं। उक्त संशोधनों/नवीन प्रावधानों के कारण नगर निकायों में भ्रांति/विसंगतियां बनी हुई हैं।

अतः भूमि आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में सुगमता एवं सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाये जाने की दृष्टि से वर्तमान लागू भूमि आवंटन नीति—2015 में आवश्यक संशोधन कर भूमि आवंटन नीति—2024 का प्रारूप तैयार किया गया है।

यह प्रारूप आमजन/हित धारकों से आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 10.09.2024 तक शासन उप सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग को ई—मेल [udh@rajasthan.gov.in](mailto:udh@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

# भूमि आवंटन नीति—2024 प्रारूप

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 03.06.2024 द्वारा गठित कमेटी द्वारा  
भू-आवंटन नीति-2015 की समीक्षा उपरान्त लागू/प्रस्तावित/ नवीन संशोधन की रिपोर्ट:-

क्रम संख्या	भू-आवंटन नीति 2015 के लागू प्रावधान	भू-आवंटन नीति 2015 में प्रस्तावित संशोधन/नवीन प्रावधान	विशेष विवरण
1	<b>नगरीय निकायों द्वारा समस्त विकसित एवं अविकसित रिक्त भूमि का विवरण तैयार कर विभाग की Website पर Upload किये जाने के संबंध में:-</b>	<b>नगरीय निकायों द्वारा समस्त विकसित एवं अविकसित रिक्त भूमि का विवरण तैयार कर विभाग की Website पर Upload किये जाने के संबंध में:-</b>	
1.1	जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त नगर विकास न्यासों व समस्त नगरीय निकायों द्वारा उनकी योजना, गैर योजना क्षेत्रों एवं अन्यत्र स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध विकसित और अविकसित भूमि को चिह्नित कर विस्तृत विवरण मय लोकेशन, क्षेत्रफल, भूमि की दर आदि विभागीय Website पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस सूचना को समय-समय पर भूमि की उपलब्धता तथा विद्यमान दरों के अनुरूप अनिवार्य रूप से Update भी किया जाना अपेक्षित होगा।	समस्त विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त नगर विकास न्यासों व समस्त नगरीय निकायों द्वारा उनकी योजना, गैर योजना क्षेत्रों, निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा स्वीकृत करायी गई योजनाओं, एकल पट्टों में समर्पित भूमि एवं अन्यत्र स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध विकसित और अविकसित भूमि को चिह्नित कर विस्तृत विवरण मय लोकेशन, क्षेत्रफल, भूमि की दर आदि विभागीय Website पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस सूचना को समय-समय पर भूमि की उपलब्धता तथा विद्यमान दरों के अनुरूप अनिवार्य रूप से Update भी किया जाना अपेक्षित होगा।	जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, के स्थान पर समस्त विकास प्राधिकरण प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित।
1.2	प्रमुख शहरों में यथासम्भव संस्थानिक क्षेत्र भी बनाये जायेंगे, ताकि संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड एक स्थान पर सुनियोजित रूप से आवंटित किये जा सकें।	वर्तमान में आवश्यक नहीं।	निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा स्वीकृत करायी गई योजनाओं, एकल पट्टों में समर्पित भूमि को जोड़ा जाना प्रस्तावित।
1.3	बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। बेशकीमती भूमि से आशय उस भूमि से है, जो संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल में अधिकतम डी.एल.सी. या आरक्षित दर की भूमि है।		सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित।

2	सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चैरीटेबल संस्थाओं/द्रस्ट को रियायती दरों पर भूमि आवंटन	सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चैरीटेबल संस्थाओं/द्रस्ट को रियायती दरों पर भूमि आवंटन	
2.1	<p>आवेदक संस्था को सार्वजनिक या धार्मिक या चैरीटेबल या सामाजिक संस्था अथवा द्रस्ट होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं हो। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था हो अथवा राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड द्रस्ट हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए। तीन वर्ष से कम अस्तित्व वाली संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय संस्था के उद्देश्यों, गुणावगुण व क्रियाकलापों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकेगा। प्रीमियर संस्थाओं के लिये तीन वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। प्रीमियर संस्था से आशय ऐसी संस्था से है, जिसके द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 05 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश किया जावेगा।</p>	<p>आवेदक संस्था को सार्वजनिक या धार्मिक या चैरीटेबल या सामाजिक संस्था अथवा द्रस्ट होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं हो। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था हो अथवा राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड द्रस्ट हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए। तीन वर्ष से कम अस्तित्व वाली संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय संस्था के उद्देश्यों, गुणावगुण व क्रियाकलापों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकेगा। प्रीमियर संस्थाओं के लिये तीन वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। प्रीमियर संस्था से आशय ऐसी संस्था से है, जिसके द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 05 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश किया जावेगा।</p>	यथावत
2.2	भूमि आवंटन के लिए आवेदनकर्ता संस्था की गतिविधियां, उनके विधान के अनुसार व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए तथा संस्था का उद्देश्य आवंटित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन से व्यावसायिक लाभ अर्जित करने का नहीं होना चाहिए।	भूमि आवंटन के लिए आवेदनकर्ता संस्था की गतिविधियां, उनके विधान के अनुसार व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए तथा संस्था का उद्देश्य आवंटित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन से व्यावसायिक लाभ अर्जित करने का नहीं होना चाहिए।	यथावत
2.3	आवेदक संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिये निर्धारित प्रारूप-अ में आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, विधान, पिछले 3 वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	आवेदक संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिये निर्धारित प्रारूप-अ में आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, विधान, पिछले 3 वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा तथा विस्तृत	यथावत

	<p>भी प्रस्तुत करनी होगी। परन्तु 3 वर्ष से कम अस्तित्व वाली किसी संस्था को भूमि आवंटन करने का निर्णय यदि राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तो ऐसी संस्था के लिए 3 वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।</p>	<p>परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। परन्तु 3 वर्ष से कम अस्तित्व वाली किसी संस्था को भूमि आवंटन करने का निर्णय यदि राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तो ऐसी संस्था के लिए 3 वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।</p>	
2.4	<p>आवेदन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता के अधिकृत करने का संस्था के प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न की जायेगी। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में <b>5000/- रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर स्थानीय निकाय के सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम संलग्न करना होगा।</b></p>	<p>आवेदन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता के अधिकृत करने का संस्था के प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न की जायेगी। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में <b>25000/- रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर स्थानीय निकाय के सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम संलग्न करना होगा।</b></p>	<b>5000/- रु के स्थान पर 25000 रु प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित।</b>
2.5	<p>अनुभव एवं वित्तीय मापदण्डः— आवेदक संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन—पत्र में निम्नांकित बिन्दुओं पर भी सूचना उपलब्ध करानी होगी:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) पूर्व में किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण मय लागत।</li> <li>(ii) वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति तथा इनके समाज को लाभ का विवरण।</li> <li>(iii) प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता।</li> <li>(iv) संस्था की आर्थिक स्थिति।</li> </ul>	<p>अनुभव एवं वित्तीय मापदण्डः— आवेदक संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन—पत्र में निम्नांकित बिन्दुओं पर भी सूचना उपलब्ध करानी होगी:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) पूर्व में किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण मय लागत।</li> <li>(ii) वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति तथा इनके समाज को लाभ का विवरण।</li> <li>(iii) प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता।</li> <li>(iv) संस्था की आर्थिक स्थिति।</li> </ul>	यथावत

	(v) प्रस्तावित कार्य करने हेतु राशि की आवश्यकता व आवश्यक राशि किस स्त्रोत से प्राप्त होगी।	(v) प्रस्तावित कार्य करने हेतु राशि की आवश्यकता व आवश्यक राशि किस स्त्रोत से प्राप्त होगी।	
2.6	आवेदक संस्था को आवेदन—पत्र के साथ भूमि आवंटन , का स्पष्ट प्रयोजन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, जिसमें परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, उस पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण तथा वित्तीय लागत अनुमान और भवन का किन उद्देश्यों के लिए उपयोग लिए जायेगा, स्पष्ट विवरण देना होगा। परियोजना रिपोर्ट में निर्माण कार्य शुरू करना तथा उस पूरा किये जाने का निर्धारित समय भी दर्शाना होगा। परियोजना के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख, परियोजना रिपोर्ट में भी करना होगा।	सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित।	
2.7	आवेदक संस्था द्वारा यदि पूर्व में किसी भी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से कहीं भी भूमि प्राप्त की गई है तो उसका पूर्ण विवरण तथा इसके उपयोग की वर्तमान स्थिति व विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट वर्णित किया जायेगा।	सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित।	
2.8	आवेदक, संस्था को यह भी आवेदन—पत्र में स्पष्ट रूप में दर्शाना होगा कि भूमि आवंटन से परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व किस प्रकार मिलेगा।	सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित।	

2.9	<p>रियायती दरों पर संस्थानों को विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि आवंटन के लिये अधिकतम क्षेत्रफल:-</p> <p><b>1 शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड</b></p> <table border="1" data-bbox="333 331 988 1491"> <thead> <tr> <th>क्र.सं</th><th>शैक्षणिक संस्थान</th><th>संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल</th><th>संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय</td><td>2,000 वर्गमीटर तक</td><td>3,000 वर्गमीटर तक</td></tr> <tr> <td>2</td><td>माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय</td><td>4,000 वर्गमीटर तक</td><td>6,000 वर्गमीटर तक</td></tr> <tr> <td>3</td><td>महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक)</td><td>10,000 वर्गमीटर तक</td><td>6,000 वर्गमीटर तक</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं	शैक्षणिक संस्थान	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल	1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय	2,000 वर्गमीटर तक	3,000 वर्गमीटर तक	2	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	4,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक	3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक)	10,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक	<p>रियायती दरों पर संस्थानों को विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि आवंटन के लिये अधिकतम क्षेत्रफल हेतु परिशिष्ट-अ</p>	<p>अलग से परिशिष्ट बनाया जाना प्रस्तावित।</p>
क्र.सं	शैक्षणिक संस्थान	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल																
1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय	2,000 वर्गमीटर तक	3,000 वर्गमीटर तक																
2	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	4,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक																
3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक)	10,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक																

		क, चिकित्सा, आई.टी. आई. सहित)			
4	निशत्तजन / मूक—बधि रों के विद्यालय	2,000 वर्गमीटर तक	4,000 वर्गमीटर तक		
5	विश्वविद्यालय	30 एकड़	30 एकड़		
	1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड				
	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थायें	सभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल		
1	छोटे अस्पताल (25—50 शैय्याओं	3,000 वर्गमीटर तक	4500 वर्गमीटर तक		

		तक)		
2	बड़े अस्पताल (51) शैय्याओं से अधिक)	8,000 वर्गमीटर तक	8,000 वर्गमीटर तक	

### 3. सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आंवटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड

	सार्वजनिक संस्थाएँ	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल
1	सामुदायिक केन्द्र	1500 वर्गमीटर तक	1500 वर्गमीटर तक
2	नशा मुक्ति केन्द्र	6000 वर्गमीटर तक	800 वर्गमीटर तक
3	वृद्धाश्रम / अनाथ आश्रम	1000 वर्गमीटर तक	1000 वर्गमीटर तक
4	पेशनरों के लिए विश्राम घर	500 वर्गमीटर तक	500 वर्गमीटर तक
5	निःशक्तजन,	2000	2000

		मूक—बधिरों के लिए शिक्षण—प्रणिक्षण केन्द्र	वर्गमीटर तक	वर्गमीटर तक		
	6	सार्वजनिक प्याऊ, शौचालयों एवं मूत्रालय	200 वर्गमीटर तक	300 वर्गमीटर तक		
	7	वाल्मीकी भवन कुष्टाश्रम प्रेस क्लब सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय, धर्मशाला, कामकाजी	1000 वर्गमीटर तक	1500 वर्गमीटर तक		
	8	महिला छात्रावास, रैन बसेरे, बस शैल्टर, शमशान, कब्रिस्तान	3000 वर्गमीटर तक	4000 वर्गमीटर तक		
2.10	प्रीमियर संस्थान के लिए क्षेत्रफल का प्रावधान 3.2 के अनुसार रहेगा।"			प्रीमियर संस्थान के लिए क्षेत्रफल का प्रावधान 3.2 के अनुसार रहेगा।"		
	नोट:—(i)विद्यालय / महाविद्यालय के साथ छात्रावास निर्माण भी प्रस्तावित होने पर विद्यालय / महाविद्यालय हेतु आवंटित भूमि (बिन्दु 2.9 की तालिका—1 की 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त भूमि			नोट:—(i)विद्यालय / महाविद्यालय के साथ छात्रावास निर्माण भी प्रस्तावित होने पर विद्यालय / महाविद्यालय हेतु आवंटित भूमि (बिन्दु 2.9 की तालिका—1 की 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त भूमि		
						9वां बिन्दु जोड़ा जाना प्रस्तावित यथावत

<p>छात्रावास के लिये आवंटित भी आवंटित की जा सकेगी।)</p>	<p>छात्रावास के लिये आवंटित भी आवंटित की जा सकेगी।)</p>
<p>(ii) भूमि आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, उस स्थिति में उक्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं आवंटित भूमि, उस पर निर्मित भवन सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।</p>	<p>(ii) भूमि आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, उस स्थिति में उक्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं आवंटित भूमि, उस पर निर्मित भवन सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।</p>
<p>(iii) राज्य सरकार को गुणावगुण के आधार पर किसी विशेष प्रकरण में उपरोक्त क्षेत्रफल की सीमा में छूट देने का अधिकार होगा।</p>	<p>(iii) राज्य सरकार को गुणावगुण के आधार पर किसी विशेष प्रकरण में उपरोक्त क्षेत्रफल की सीमा में छूट देने का अधिकार होगा।</p>
<p>(iv) सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, कचरा संग्रहण स्थल, वाचनालय, कब्रिस्तान/शमशान, बस शैल्टर आदि जैसे प्रयोजनों के लिये नगर विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय द्वारा भूमि चिन्हित की जावेगी तथा इन सुविधाओं के संचालन व रख—रखाव हेतु संबंधित संस्था को भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि पर स्वामित्व संबंधित स्थानीय निकाय की ही रहेगा।</p>	<p>(iv) सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, कचरा संग्रहण स्थल, वाचनालय, कब्रिस्तान/शमशान, बस शैल्टर आदि जैसे प्रयोजनों के लिये नगर विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय द्वारा भूमि चिन्हित की जावेगी तथा इन सुविधाओं के संचालन व रख—रखाव हेतु संबंधित संस्था को भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि पर स्वामित्व संबंधित स्थानीय निकाय की ही रहेगा।</p>
<p>3.</p> <p>3.1</p> <p>शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रीमियर (Premier) संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन:-</p>	<p>शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रीमियर (Premier) संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन:-</p>
<p>शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली संस्था को प्रीमियर संस्था माना जायेगा। यह निवेश विश्वविद्यालय या प्रोफेशनल/टेक्नीकल कॉलेज या</p>	<p>शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली संस्था को प्रीमियर संस्था माना जायेगा। यह निवेश विश्वविद्यालय या प्रोफेशनल/टेक्नीकल कॉलेज या</p>

	<p>राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय या मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल की स्थापना के लिये किया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे संस्थान भी शामिल माने जायेंगे, जिनका राज्य में कम से कम 5 शहरों में विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव हो तथा आगामी 5 वर्ष में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश भी प्रस्तावित हो। निर्धारित समय में निवेश अथवा निर्माण कार्य नहीं करने पर संबंधित निकाय द्वारा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 और राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए की जावेगी।</p>	<p>राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय या मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल की स्थापना के लिये किया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे संस्थान भी शामिल माने जायेंगे, जिनका राज्य में कम से कम 5 शहरों में विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव हो तथा आगामी 5 वर्ष में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश भी प्रस्तावित हो। निर्धारित समय में निवेश अथवा निर्माण कार्य नहीं करने पर संबंधित निकाय द्वारा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 और राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए की जावेगी।</p>
3.2	<p>प्रीमियर संस्थानों को भूमि आवंटन के प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय के द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अनुशंसा का विभाग स्तर पर परीक्षण किया जायेगा। विभाग स्तर पर संस्थान को भूमि का आवंटन आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत तक दर तक किया जा सकेगा।"</p>	<p>प्रीमियर संस्थानों को भूमि आवंटन के प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय के द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। नगरीय निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अनुशंसा का विभाग स्तर पर परीक्षण किया जायेगा। विभाग स्तर पर संस्थान को भूमि का आवंटन आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत तक दर तक किया जा सकेगा।"</p>
	<p>प्रीमियर संस्थानों को आरक्षित दर/डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत से कम दर पर भूमि आवंटन के प्रकरण निर्णयार्थ मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे। प्रीमियर संस्थान हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। प्रीमियर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डी.पी.आर. एवं विनिवेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग अतिरिक्त मुख्य सचिव</p>	<p>यथावत निष्पादन) नियम, 1974 में <u>न्यास</u> शब्द को हटाया जाना प्रस्तावित है।</p>

	/ प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति (परिशिष्ट-2) द्वारा की जायेगी, यह समिति संस्थान को भूमि आवंटन यदि उचित समझती तो भूमि की आवश्यकता का आंकलन करते हुए अपनी अनुशंषा प्रभारी मंत्री के माध्यम से मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी। भूमि का आवंटन आरक्षित दर/डीएलसी दर जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत दर तक मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के द्वारा और इससे कम दर पर मंत्रीमण्डल द्वारा भूमि का आवंटन किया जायेगा। आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं अन्य शर्तों के बारे में निर्णय मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर अथवा मंत्रीमण्डल के स्तर पर, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जायेगा।"		
3.3	बिन्दु संख्या 2.1 में संस्थाओं की अर्हता के अन्तर्गत 3 वर्ष की शर्त की प्रीमियर संस्थाओं पर बाध्यता नहीं होगी।	बिन्दु संख्या 2.1 में संस्थाओं की अर्हता के अन्तर्गत 3 वर्ष की शर्त की प्रीमियर संस्थाओं पर बाध्यता नहीं होगी।	यथावत
3.4	यदि विकसित भूमि उपलब्ध नहीं है तो अविकसित भूमि आवंटित की जा सकेगी। न्यूनतम 50 करोड़ रुपये निवेश करने पर 50 प्रतिशत की दर पर आवंटन तथा न्यूनतम 100 करोड़ रुपये निवेश करने पर 25 प्रतिशत की दर पर आवंटन किया जा सकेगा। विकसित भूमि का आवंटन आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर होगा। अविकसित भूमि डीएलसी + 20 प्रतिशत निकायों को जाने वाली राशि अर्थात् 120 प्रतिशत पर होगा। यदि इस आवंटन को 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत दर पर किया जाता है तो उक्त राशि उसी अनुपात में कम हो जावेगी।	यदि विकसित भूमि उपलब्ध नहीं है तो अविकसित भूमि आवंटित की जा सकेगी। न्यूनतम 50 करोड़ रुपये निवेश करने पर 50 प्रतिशत की दर पर आवंटन तथा न्यूनतम 100 करोड़ रुपये निवेश करने पर 25 प्रतिशत की दर पर आवंटन किया जा सकेगा। विकसित भूमि का आवंटन आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर होगा। अविकसित भूमि डीएलसी + 20 प्रतिशत निकायों को जाने वाली राशि अर्थात् 120 प्रतिशत पर होगा। यदि इस आवंटन को 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत दर पर किया जाता है तो उक्त राशि उसी अनुपात में कम हो जावेगी।	यथावत

		यथावत
3.5	यदि किसी भूमि पर एक से ज्यादा अलग—अलग डीएलसी की दरें लागू होती हो तो अधिकतम डीएलसी की दर को आधार बनाया जायेगा।	यदि किसी भूमि पर एक से ज्यादा अलग—अलग डीएलसी की दरें लागू होती हो तो अधिकतम डीएलसी की दर को आधार बनाया जायेगा।
3.6	जो मेडीकल कॉलेज/हॉस्पिटल सम्बन्धित विभाग की विभागीय नीति के तहत <u>नहीं</u> आते हैं केवल उन्हें ही इस नीति के तहत भूमि आवंटित की जावेगी।	जो मेडीकल कॉलेज/हॉस्पिटल सम्बन्धित विभाग की विभागीय नीति के तहत आते हैं केवल उन्हें ही इस नीति के तहत भूमि आवंटित की जावेगी।
4.	<b>आवंटनकर्ता संस्था/विभाग के कर्तव्य—</b>	<b>आवंटनकर्ता संस्था/विभाग के कर्तव्य—</b>
4.1	न्यास / प्राधिकरण / स्थानीय निकायों द्वारा बेशकीमती जमीन को रियायती दरों पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।	
4.2	भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उसे सम्बन्धित निकाय की वेबसाईट पर न्यूनतम <u>15 दिवस</u> के लिये डाला जायेगा, ताकि उस पर आम—जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त की जा सके।	भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उसे सम्बन्धित निकाय की वेबसाईट पर न्यूनतम <u>15 दिवस की आपत्ति</u> के लिए डालना अवश्यक होगा।
4.3	किसी भी संस्था को आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का औचित्य निर्धारण आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था की वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर सुनिश्चित किया जावेगा।	किसी भी संस्था को आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का औचित्य निर्धारण आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था की वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर सुनिश्चित किया जावेगा।
4.4	आवेदक संस्था की पात्रता एवं चाही गई भूमि की आवश्यकता का परीक्षण आवेदक संस्था के प्रार्थना—पत्र एवं बिन्दु संख्या 2 में अपेक्षित सूचनाओं के आधार पर सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।	आवेदक संस्था की पात्रता एवं चाही गई भूमि की आवश्यकता का परीक्षण आवेदक संस्था के प्रार्थना—पत्र एवं बिन्दु संख्या 2 में अपेक्षित सूचनाओं के आधार पर सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

4.5	<p>निःशक्तजन, मूक—बधिरों के लिए शिक्षण— प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, कार्यरत (कामकाजी) महिला छात्रावास आदि के लिए संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित निकाय द्वारा संस्था के क्रियाकलापों व प्रस्तावित कार्य की उपयोगिता व आवश्यकता पर टिप्पणी प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार चिकित्सा संस्थानों के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि बाबत टिप्पणी चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जावेगी।</p>	<p>निःशक्तजन, मूक—बधिरों के लिए शिक्षण— प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, कार्यरत (कामकाजी) महिला छात्रावास आदि के लिए संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित निकाय द्वारा संस्था के क्रियाकलापों व प्रस्तावित कार्य की उपयोगिता व आवश्यकता पर टिप्पणी प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार चिकित्सा संस्थानों के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि बाबत टिप्पणी चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जावेगी।</p>	यथावत
4.6	<p>आवेदक संस्था के आर्थिक स्रोतों को स्वयं संस्था को ही सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण हो सके व भूमि आवंटन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। परन्तु आवंटनकर्ता निकाय द्वारा संस्था के आवेदन की जाच कर सुनिश्चित किया जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु सक्षम है।</p>	<p>आवेदक संस्था के आर्थिक स्रोतों को स्वयं संस्था को ही सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण हो सके व भूमि आवंटन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। परन्तु आवंटनकर्ता निकाय द्वारा संस्था के आवेदन की जाच कर सुनिश्चित किया जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु सक्षम है।</p>	यथावत
4.7	<p><b>सक्षम स्तर (नगरीय विकास एवं अवासन विभाग / स्वायत्त शासन विभाग / मंत्रिमण्डल)</b> से भूमि आवंटन का निर्णय होने और आदेश पारित होने तक उसकी पालना 30 दिवस में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जावेगी। यदि उक्त पालना इस अवधि में नहीं की जादेगी तो संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जावेगी।</p>	<p><b>सक्षम स्तर</b> से भूमि आवंटन का निर्णय होने और आदेश पारित होने के उपरान्त उसकी पालना 30 दिवस में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जावेगी। यदि उक्त पालना इस अवधि में नहीं की जादेगी तो संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जावेगी।</p>	(नगरीय विकास एवं अवासन विभाग / स्वायत्त शासन विभाग / मंत्रिमण्डल) के स्थान पर सक्षम स्तर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

			यथावत
4.8	नीति के तहत किये गये समस्त आवंटन नीति में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन होंगे तथा इनका उल्लेख नगरीय निकाय द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र में आवश्यक रूप से किया जायेगा।	नीति के तहत किये गये समस्त आवंटन नीति में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन होंगे तथा इनका उल्लेख नगरीय निकाय द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र में आवश्यक रूप से किया जायेगा।	यथावत
4.9	रियायती दर पर आवंटित भूमि का दुरुपयोग नहीं हो तथा सही उपयोग हो, इसके लिये आवंटनकर्ता संस्था द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखते हुये कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि बिन्दु संख्या 7 में आगे बताया गया है।	रियायती दर पर आवंटित भूमि का दुरुपयोग नहीं हो तथा सही उपयोग हो, इसके लिये आवंटनकर्ता संस्था द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखते हुये कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि बिन्दु संख्या 7 में आगे बताया गया है।	यथावत
5	सार्वजनिक, सामाजिक, चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन की दरें एवं आवंटन का निर्णय करने का स्तरः—	सार्वजनिक, सामाजिक, चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन की दरें एवं आवंटन का निर्णय करने का स्तरः—	
5.1	नई आवंटन नीति जारी होने से पूर्व में आवंटित की गयी भूमि के उन मामलों में जो सार्वजनिक सुविधाओं यथा सामुदायिक केन्द्र, विभिन्न समाजों के सामुदायिक छात्रावास, नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धाश्रम / अनाथाश्रम, पेन्शनरों के लिए विश्राम गृह, रेनबसेरों, निःशक्तजन / मूक-बधिरों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय / वाचनालय तथा धर्मशाला आदि प्रयोजनों हेतु आवंटन के हैं, में भूमि की दर तत्समय प्रचलित आरक्षित दर पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त ली जायेगी, यानि आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन होगा।	नई आवंटन नीति जारी होने से पूर्व में आवंटित की गयी भूमि के उन मामलों में जो सार्वजनिक सुविधाओं यथा सामुदायिक केन्द्र, विभिन्न समाजों के सामुदायिक छात्रावास, नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धाश्रम / अनाथाश्रम, पेन्शनरों के लिए विश्राम गृह, रेनबसेरों, निःशक्तजन / मूक-बधिरों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय / वाचनालय तथा धर्मशाला आदि प्रयोजनों हेतु आवंटन के हैं, में भूमि की दर तत्समय प्रचलित आरक्षित दर पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त ली जायेगी, यानि आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन होगा।	यथावत

5.2	<p>“नीति के अंतर्गत विकसित भूमि का आवंटन आरक्षित दर एवं अविकसित भूमि का आवंटन कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के आधार पर किया जायेगा तथा आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर पर आवंटन संबंधित न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय स्तर पर किया जावेगा। परंतु आवंटन पत्र राज्य सरकार के पूर्वानुमति से जारी किए जा सकेंगे।”</p>	<p>“नीति के अंतर्गत विकसित भूमि का आवंटन आरक्षित दर एवं अविकसित भूमि का आवंटन कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के आधार पर किया जायेगा तथा आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर पर आवंटन संबंधित न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय स्तर पर किया जावेगा। परंतु आवंटन पत्र राज्य सरकार के पूर्वानुमति से जारी किए जा सकेंगे।”</p>	यथावत
5.3	<p>संबंधित न्याय/प्राधिकरण/आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय प्रकरण में विचार करने के पश्चात् आरक्षित दर/ डी.एल.सी. दर से कम दर पर आवंटन करना युक्तिसंगत मानती हैं तो उस स्थिति में राज्य स्तर पर निर्णय के लिए परिशिष्ट-1 पर संलग्न चैक लिस्ट में सूचना एवं दस्तावेजों के साथ विभाग को प्रकरण अग्रेषित किया जावेगा। विभाग के स्तर पर आरक्षित दर / डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत तक दर पर भूमि आवंटित की जा सकेगी।</p>	<p>संबंधित न्याय/प्राधिकरण/आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय प्रकरण में विचार करने के पश्चात् आरक्षित दर/ डी.एल.सी. दर से कम दर पर आवंटन करना युक्तिसंगत मानती हैं तो उस स्थिति में राज्य स्तर पर निर्णय के लिए परिशिष्ट-1 पर संलग्न चैक लिस्ट में सूचना एवं दस्तावेजों के साथ विभाग को प्रकरण अग्रेषित किया जावेगा। विभाग के स्तर पर आरक्षित दर / डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत तक दर पर भूमि आवंटित की जा सकेगी।</p>	यथावत
5.4	<p>जहां भूमि अविकसित है, वहां संस्थाओं को कृषि भूमि की डी.एल.सी. +20 प्रतिशत स्थानीय निकायों के देय राशि के आधार पर नगरीय निकाय स्तर पर आवंटन किया जावेगा, परंतु आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। नगरीय निकाय के मत में आवंटन यदि इससे कम दर पर किया जाना है, तो उस स्थिति में प्रकरण राज्य सरकार को परिशिष्ट-1 पर संलग्न चैक लिस्ट में सूचना एवं दस्तावेजों के साथ भेजा जावेगा। विभाग स्तर पर 50 प्रतिशत तक दर पर आवंटन का निर्णय लिया जा सकेगा।</p>	<p>जहां भूमि अविकसित है, वहां संस्थाओं को कृषि भूमि की डी.एल.सी. +20 प्रतिशत स्थानीय निकायों के देय राशि के आधार पर नगरीय निकाय स्तर पर आवंटन किया जावेगा, परंतु आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। नगरीय निकाय के मत में आवंटन यदि इससे कम दर पर किया जाना है, तो उस स्थिति में प्रकरण राज्य सरकार को परिशिष्ट-1 पर संलग्न चैक लिस्ट में सूचना एवं दस्तावेजों के साथ भेजा जावेगा। विभाग स्तर पर 50 प्रतिशत तक दर पर आवंटन का निर्णय लिया जा सकेगा।</p>	यथावत

5.5	<p>मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति द्वारा आरक्षित दर 15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत दर तक भूमि का आवंटन किया जा सकेगा और इससे कम दर पर प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।</p>	<p>मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति द्वारा आरक्षित दर 15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत दर तक भूमि का आवंटन किया जा सकेगा और इससे कम दर पर प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।</p>	यथावत
5.6	<p>यदि किसी भूमि पर एक से अधिक अलग—अलग डीएलसी दरें लागू होती हैं तो अधिकतम डीएलसी दर को आधार बनाया जायेगा।</p>	<p>यदि किसी भूमि पर एक से अधिक अलग—अलग डीएलसी दरें लागू होती हैं तो अधिकतम डीएलसी दर को आधार बनाया जायेगा।</p>	यथावत
5.7	<p>संस्थाओं को पूर्व में आवंटित भूमियों एवं अब आवंटित की जाने वाली भूमियों के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा संबंधित संस्था को 30 दिवस में राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जायेगा। 30 दिवस में राशि जमा नहीं होने पर नगरीय निकाय राशि जमा कराने हेतु 30 दिवस का अतिरिक्त समय दे सकेगी। 60 दिवस की अवधि के पश्चात् अगले 10 महीनों में राशि जमा कराने पर 12 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा तथा आवेदक संस्था द्वारा कुल एक वर्ष की अवधि में राशि जमा न कराने पर आंवटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राशि जमा कराने बाबत राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।</p>		सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित।
5.8	<p>राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमि आवंटन के मामलों में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित की गयी दर के अलावा राजस्थान आवासन मण्डल आवंटन दर पर स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से ले सकेगा।</p>	<p>राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमि आवंटन के मामलों में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित की गयी दर के अलावा राजस्थान आवासन मण्डल आवंटन दर पर स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से ले सकेगा।</p>	यथावत

5.9	<p>भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी परन्तु 10.000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर पर देय होगी तथा उनके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।</p>	<p>भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी परन्तु 10.000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर पर देय होगी तथा उनके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।</p>	यथावत
5.10		<p>समाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के प्रावधानों के मध्यनजर योजना के तहत पात्र अलाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में नगरपालिका क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर तक, नगरपरिषद् क्षेत्रों में 1500 वर्गमीटर तक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित की जाती है।</p>	<p><u>नया बिन्दु जोड़ा जाना प्रस्तावित</u></p>
6	<p>रियायती दरों पर भूमि आवंटन के लिए सामान्य शर्तेः—</p>	<p>रियायती दरों पर भूमि आवंटन के लिए सामान्य शर्तेः—</p>	
6.1	<p>जिन प्रकरणों में भूमि का सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कब्रिस्तान, सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि हेतु निःशुल्क आवंटन किया जाता है, उनमें भूमि का स्वामित्व सामान्य तौर पर संस्था को हस्तान्तरित नहीं कर संबंधित स्थानीय निकाय में निहित रहेगा, अर्थात् संस्था सिर्फ लाइसेन्सधारी ही रहेगी। यानि स्वामित्व स्थानीय निकाय का ही होगा।</p>	<p>जिन प्रकरणों में भूमि का सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कब्रिस्तान, सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि हेतु निःशुल्क आवंटन किया जाता है, उनमें भूमि का स्वामित्व सामान्य तौर पर संस्था को हस्तान्तरित नहीं कर संबंधित स्थानीय निकाय में निहित रहेगा, अर्थात् संस्था सिर्फ लाइसेन्सधारी ही रहेगी। यानि स्वामित्व स्थानीय निकाय का ही होगा।</p>	यथावत
6.2	<p>संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग यदि पब्लिक एवं चैरीटेबल अथवा सामाजिक उद्देश्य, जिनके लिए भूमि आवंटित की गई है, के</p>	<p>संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग यदि पब्लिक एवं चैरीटेबल अथवा सामाजिक उद्देश्य, जिनके लिए भूमि आवंटित की गई है, के</p>	यथावत

	<p>लिए नहीं होना पाया जाता है तो संबंधित निकाय द्वारा संस्था को एक माह का नोटिस देकर व सुनवाई कर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। आवंटन निरस्त होने पर उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवन (यदि निर्माण कर लिया गया है) राज्य सरकार में निहित हो जायेगे तथा उनका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।</p>	<p>लिए नहीं होना पाया जाता है तो संबंधित निकाय द्वारा संस्था को एक माह का नोटिस देकर व सुनवाई कर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। आवंटन निरस्त होने पर उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवन (यदि निर्माण कर लिया गया है) राज्य सरकार में निहित हो जायेगे तथा उनका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।</p>	
6.3	<p>किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है, तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी अर्थात् यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर + 15 प्रतिशत अथवा डीएलसी+ 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा, लेकिन राज्य सरकार इस शर्त में छूट दे सकेगी। विभाग स्तर पर उक्त दरों के 50 प्रतिशत तक, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति स्तर पर उक्त दरों के 30 प्रतिशत तक तथा इससे कम दरों पर मंत्रिमण्डल स्तर पर भू-आवंटन किया जा सकेगा।</p>	<p>किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है, तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी अर्थात् यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर + 15 प्रतिशत अथवा डीएलसी+ 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा, लेकिन राज्य सरकार इस शर्त में छूट दे सकेगी। विभाग स्तर पर उक्त दरों के 50 प्रतिशत तक, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति स्तर पर उक्त दरों के 30 प्रतिशत तक तथा इससे कम दरों पर मंत्रिमण्डल स्तर पर भू-आवंटन किया जा सकेगा।</p>	यथावत
6.4	<p>जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।</p>	<p>जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।</p>	यथावत

6.5	<p>किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।</p>	<p>किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।</p>	यथावत
6.6	<p>राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी को किसी विकास या सुधार के लिए आवंटित भूमि के किसी भाग की बाद में किसी चरण में यदि आवश्यकता हो तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस दर पर आवंटन किया गया था, उस दर पर वापस लिया जा सकेगा तथा उक्त भूमि के भाग पर किये गये निर्माण एवं विकास का मुआवजा आवंटन अधिकारी द्वारा पृथक से भुगतान किया जावेगा।</p>	<p>राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी को किसी विकास या सुधार के लिए आवंटित भूमि के किसी भाग की बाद में किसी चरण में यदि आवश्यकता हो तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस दर पर आवंटन किया गया था, उस दर पर वापस लिया जा सकेगा तथा उक्त भूमि के भाग पर किये गये निर्माण एवं विकास का मुआवजा आवंटन अधिकारी द्वारा पृथक से भुगतान किया जावेगा।</p>	यथावत
6.7	<p>संस्था को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।</p>	<p>संस्था को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।</p>	यथावत
6.8	<p>संस्था के कार्यरत नहीं रहने या अन्य संस्था में विलीनीकरण होने की स्थिति में आवटित भूमि एवं उस पर किये गये निर्माण बिना मुआवजे के संबंधित स्थानीय निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेगी।</p>	<p>संस्था के कार्यरत नहीं रहने या अन्य संस्था में विलीनीकरण होने की स्थिति में आवटित भूमि एवं उस पर किये गये निर्माण बिना मुआवजे के संबंधित स्थानीय निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेगी।</p>	यथावत
6.9	<p>संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि, उसके किसी भाग का किसी अन्य का हस्तान्तरण अवैध एवं शून्य माना जावेगा। ऐसा पाये जाने पर सम्पूर्ण आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।</p>	<p>संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि, उसके किसी भाग का किसी अन्य का हस्तान्तरण अवैध एवं शून्य माना जावेगा। ऐसा पाये जाने पर सम्पूर्ण आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।</p>	यथावत

6.10	<p>जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है, उन संस्थाओं को आवंटन की शर्त, जिसमें आमजन हेतु रियायतों / सुविधाओं का वर्णन किया गया है, का प्रदर्शन निर्मित भवन के मुख्य द्वार के पास सूचना पट्ट पर स्थायी रूप से करना होगा।</p>	<p>जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है, उन संस्थाओं को आवंटन की शर्त, जिसमें आमजन हेतु रियायतों / सुविधाओं का वर्णन किया गया है, का प्रदर्शन निर्मित भवन के मुख्य द्वार के पास सूचना पट्ट पर स्थायी रूप से करना होगा।</p>	यथावत
6.11	<p>यदि भारत सरकार की Regulatory Bodies जैसे कि AICTE, CBSE, MCI, Bar Council of India आदि के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के विपरीत नहीं हो तो जिन शिक्षण संस्थाओं को भूमि आवंटित की जायेगी, उनमें 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो) के बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक न हो) के बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक न हो) के बच्चों तथा विकलांग बच्चों जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.21(19) शिक्षा / प्रा.शि./ 2009 दिनांक 29.03.2011 में उल्लेखित है, के लिए आरक्षित रखी जायेगी। इस संबंध में समय—समय पर राज्य सरकार के द्वारा कमजोर वर्गों के लिये सीटों के आरक्षण बाबत किये गये प्रावधान भी बाध्यकारी होंगे।</p> <p>उक्त 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दिये गये प्रवेश पर बच्चों को प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जायेगी तथा उच्च माध्यमिक स्तर व उससे ऊपर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप लिया जायेगा।</p>	<p>यदि भारत सरकार की Regulatory Bodies जैसे कि AICTE, CBSE, MCI, Bar Council of India आदि के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के विपरीत नहीं हो तो जिन शिक्षण संस्थाओं को भूमि आवंटित की जायेगी, उनमें 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो) के बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक न हो) के बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक न हो) के बच्चों तथा विकलांग बच्चों जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.21(19) शिक्षा / प्रा.शि./ 2009 दिनांक 29.03.2011 में उल्लेखित है, के लिए आरक्षित रखी जायेगी। इस संबंध में समय—समय पर राज्य सरकार के द्वारा कमजोर वर्गों के लिये सीटों के आरक्षण बाबत किये गये प्रावधान भी बाध्यकारी होंगे।</p> <p>उक्त 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दिये गये प्रवेश पर बच्चों को प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जायेगी तथा उच्च माध्यमिक स्तर व उससे ऊपर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप लिया जायेगा।</p>	यथावत
			यथावत



आवंटन की दर	चिकित्सा संस्थान (हॉस्पिटल)	आवंटन की दर	चिकित्सा संस्थान (हॉस्पिटल)
नि:शुल्क	बी.पी.एल. परिवारों हेतु नि:शुल्क इलाज, शैय्याओं का प्रतिशत व अन्य शर्तों मंत्रीमण्डल / राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।	नि:शुल्क	बी.पी.एल. परिवारों हेतु नि:शुल्क इलाज, शैय्याओं का प्रतिशत व अन्य शर्तों मंत्रीमण्डल / राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।
आरक्षित दर + 15 प्रतिशत / डीएलसी दर + 20 प्रतिशत के	बी.पी.एल. परिवारों को कुल शैय्या की संख्या का 15 प्रतिशत नि:शुल्क तथा इलाज भी नि:शुल्क किया जावेगा। आउटडोर में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क परामर्श दिया जावेगा,	आरक्षित दर + 15 प्रतिशत / डीएलसी दर + 20 प्रतिशत के	बी.पी.एल. परिवारों को कुल शैय्या की संख्या का 15 प्रतिशत नि:शुल्क तथा इलाज भी नि:शुल्क किया जावेगा। आउटडोर में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क परामर्श दिया जावेगा,
50 प्रतिशत तक दर पर आवंटन	कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।	50 प्रतिशत तक दर पर आवंटन	कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।
आरक्षित दर + 15 प्रतिशत / डीएलसी दर + 20 प्रतिशत	बी.पी.एल. परिवारों को कुल शैय्या की संख्या का 10 प्रतिशत नि:शुल्क तथा इलाज भी नि:शुल्क किया जावेगा। आउटडोर में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क परामर्श दिया	आरक्षित दर + 15 प्रतिशत / डीएलसी दर + 20 प्रतिशत	बी.पी.एल. परिवारों को कुल शैय्या की संख्या का 10 प्रतिशत नि:शुल्क तथा इलाज भी नि:शुल्क किया जावेगा। आउटडोर में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क परामर्श दिया

	<p>निःशुल्क परामर्श दिया जावेगा, कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।</p>	<p>जावेगा, कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।</p>	
6.15	रियायती दर पर भूमि आवंटन करवाने वाली चिकित्सा संस्था द्वारा संरक्षण में गरीबों को <u>निम्नानुसार सुविधाएँ</u> प्रदान करना आवश्यक होगा।	रियायती दर पर भूमि आवंटन करवाने वाली चिकित्सा संस्था द्वारा संरक्षण में गरीबों को <u>निम्नानुसार सुविधाएँ</u> प्रदान करना आवश्यक होगा।	<u>निम्नानुसार</u> शब्द हटाया जाना प्रस्तावित
6.16	चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में बीपीएल परिवारों के अलावा अन्य श्रेणी के गरीब परिवारों को उपरोक्तानुसार चिकित्सा सुविधा यथा निःशुल्क शैय्या, उपचार, जांच व दवाईया उपलब्ध करवाने हेतु अधीक्षक जिला अस्पताल / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिकृत होंगे।	चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में बीपीएल परिवारों के अलावा अन्य श्रेणी के गरीब परिवारों को उपरोक्तानुसार चिकित्सा सुविधा यथा निःशुल्क शैय्या, उपचार, जांच व दवाईया उपलब्ध करवाने हेतु अधीक्षक जिला अस्पताल / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिकृत होंगे।	यथावत
6.17	आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।		सामान्य शर्तों में शामिल किया जाना प्रस्तावित।
6.18	आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवश्यकतानुसार भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित आवंटी संस्था द्वारा नियमानुसार कराया जायेगा।	निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भूमि के अंकित उपयोग के अनुसार ही भूमि आवंटित की जावेगी, अन्यथा यथा आवश्यकता भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार हो जाने की स्थिति में ही भूमि आवंटित की जा सकेंगी।	<u>बिन्दु संख्या 8.14</u> के अनुसार अंकित किया जाना प्रस्तावित।
6.19	अविकसित भूमि के आवंटन की स्थिति के बाह्य विकास के कार्य आवंटी द्वारा अपने स्तर पर कराने होंगे अथवा सम्बन्धित न्यास / निकाय / प्राधिकरण	अविकसित भूमि के आवंटन की स्थिति के बाह्य विकास के कार्य आवंटी द्वारा अपने स्तर पर कराने होंगे अथवा सम्बन्धित न्यास / निकाय /	यथावत

	/ आवासन मण्डल द्वारा बाह्य विकास के कार्य कराये जाने पर वास्तविक खर्च आवंटी से वसूल किया जायेगा।	प्राधिकरण / आवासन मण्डल द्वारा बाह्य विकास के कार्य कराये जाने पर वास्तविक खर्च आवंटी से वसूल किया जायेगा।	
6.20	निःशुल्क भूमि आवंटन व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जावेगा।	निःशुल्क भूमि आवंटन व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जावेगा।	यथावत
7.	रियायती दर पर भू आवंटन के मामलों में भूमि का सही, उपयोग एवं शर्तों की पालना सुनिश्चित किया जाना:-	रियायती दर पर भू आवंटन के मामलों में भूमि का सही, उपयोग एवं शर्तों की पालना सुनिश्चित किया जाना:-	
7.1	सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों (चाहे वे पूर्व नीति के अन्तर्गत आवंटन के हो या इस नवीन नीति के अन्तर्गत हों) में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन किया गया है उस उद्देश्य के लिए ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है। समाज के जिन वर्गों को उक्त भूमि पर बने संस्थानों (यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों एवं अन्य जनोपयोगी भवनों) से समाज के लक्षित वर्ग को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। इस बाबत प्रतिवर्ष सम्बन्धित विभाग द्वारा सुसंगत सूचनाएं ली जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जावेगा।	सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों (चाहे वे पूर्व नीति के अन्तर्गत आवंटन के हो या इस नवीन नीति के अन्तर्गत हों) में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन किया गया है उस उद्देश्य के लिए ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है। समाज के जिन वर्गों को उक्त भूमि पर बने संस्थानों (यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों एवं अन्य जनोपयोगी भवनों) से समाज के लक्षित वर्ग को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। इस बाबत प्रतिवर्ष सम्बन्धित विभाग द्वारा सुसंगत सूचनाएं ली जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जावेगा।	यथावत
7.2	संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन का पूर्ण विवरण, भवन निर्माण की समयावधि एवं आवंटन की अन्य शर्तों का व्यौरा सम्बन्धित विभाग अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि के विभागाध्यक्षों एवं जिला	संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन का पूर्ण विवरण, भवन निर्माण की समयावधि एवं आवंटन की अन्य शर्तों का व्यौरा सम्बन्धित विभाग अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि के विभागाध्यक्षों एवं जिला	यथावत

	<p>स्तर के अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित नगरीय निकाय/न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल के द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा, जिनसे यह भी अनुरोध किया जायेगा कि वे रियायती दर पर आवंटन की शर्तों की पालना एवं लक्षित वर्ग को अपेक्षित लाभ के सम्बन्ध में नियमित रूप से निगरानी रखे और किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर अवगत करावें। इस आशय का पत्र एवं सूचना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भी दी जावे।</p>	<p>स्तर के अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित नगरीय निकाय/न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल के द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा, जिनसे यह भी अनुरोध किया जायेगा कि वे रियायती दर पर आवंटन की शर्तों की पालना एवं लक्षित वर्ग को अपेक्षित लाभ के सम्बन्ध में नियमित रूप से निगरानी रखे और किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर अवगत करावें। इस आशय का पत्र एवं सूचना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भी दी जावे।</p>	
7.3	<p>चूँकि पूर्व में भी रियायती दरों पर संस्थाओं को भूमि का आवंटन हुआ है। अतः पूर्व में ऐसे सभी आवंटनों एवं उनकी शर्तों का विवरण भी, यदि अब तक नहीं भेजा गया है, तो सम्बन्धित विभागों को उपरोक्तानुसार अविलम्ब भिजवाया जावे।</p>	<p>चूँकि पूर्व में भी रियायती दरों पर संस्थाओं को भूमि का आवंटन हुआ है। अतः पूर्व में ऐसे सभी आवंटनों एवं उनकी शर्तों का विवरण भी, यदि अब तक नहीं भेजा गया है, तो सम्बन्धित विभागों को उपरोक्तानुसार अविलम्ब भिजवाया जावे।</p>	यथावत
7.4	<p>सम्बन्धित संस्था द्वारा भूमि का सही उपयोग किया जा रहा है और समाज के लक्षित वर्ग को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों (यथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा भी निरन्तर मॉनिटरिंग की जायेगी। संबंधित विभाग प्रत्येक वर्ष रियायती दरों पर आवंटित भूमि के उपयोग एवं लक्षित वर्ग को प्राप्त लाभ के बाबत् अपने विभागीय अधिकारियों से भौतिक सत्यापन करवाते हुये सुनिश्चित करेगा तथा आवंटी संस्था द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित विभाग नगर विकास न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय विभाग जैसी भी स्थिति हो. को सूचित करेंगे, ताकि उनके द्वारा राज्य</p>	<p>सम्बन्धित संस्था द्वारा भूमि का सही उपयोग किया जा रहा है और समाज के लक्षित वर्ग को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों (यथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा भी निरन्तर मॉनिटरिंग की जायेगी। संबंधित विभाग प्रत्येक वर्ष रियायती दरों पर आवंटित भूमि के उपयोग एवं लक्षित वर्ग को प्राप्त लाभ के बाबत् अपने विभागीय अधिकारियों से भौतिक सत्यापन करवाते हुये सुनिश्चित करेगा तथा आवंटी संस्था द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित विभाग नगर विकास न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय विभाग जैसी भी स्थिति हो. को सूचित करेंगे, ताकि उनके</p>	यथावत



<p>निःशुल्क / रियायती दर पर भूमि आवंटन की गई है उन चिकित्सालयों / निगोशियेसन कर बीपीएल मरीजों का निःशुल्क ईलाज करवाने की कार्यवाही की जावे क्योंकि उन चिकित्सालयों को बेशकीमती जमीन निःशुल्क / रियायती दर पर दी गई है। यदि कमजोर वर्ग तथा बीपीएल मरीजों के निःशुल्क / रियायती ईलाज हेतु लीजडीड, भूमि आवंटन इत्यादि में कोई शर्त नहीं रखी गयी हो तब भी गरीब / कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क ईलाज उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की जावे। इस बाबत कार्य योजना तैयार करने व निःशुल्क ईलाज के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु दिनांक 31.3.2016 तक कार्यवाही सम्पन्न की जावें।</p> <p>(iii) स्थानीय निकायों द्वारा अब तक (पूर्व की नीतियों, के अन्तर्गत एवं इस नीति के अन्तर्गत) जिन संस्थाओं को निःशुल्क / रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है उसकी सूचना निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जावे और इसे अद्यतन रखा जावे। राज्य सरकार द्वारा जब भी इसकी सूचना चाही जावे, तो तत्काल प्रेषित की जावे:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>विभाग</th><th>आवंटित भूमि का विवरण</th><th>वर्तमान में अस्पताल / नर्सिंग होम चालू है या नहीं ?</th><th>आवंटन शर्तों की पालना की स्थिति</th><th>शर्तों के उल्लंघन की गयी कार्यवाही का विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विभाग	आवंटित भूमि का विवरण	वर्तमान में अस्पताल / नर्सिंग होम चालू है या नहीं ?	आवंटन शर्तों की पालना की स्थिति	शर्तों के उल्लंघन की गयी कार्यवाही का विवरण	1	2	3	4	5	6	<p><b>दिनांक 31.3.2025</b> अंकित किया जाना प्रस्तावित।</p>
क्र.सं.	विभाग	आवंटित भूमि का विवरण	वर्तमान में अस्पताल / नर्सिंग होम चालू है या नहीं ?	आवंटन शर्तों की पालना की स्थिति	शर्तों के उल्लंघन की गयी कार्यवाही का विवरण								
1	2	3	4	5	6								

7.6	<p>नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि की शर्तों की पालना एवं निगरानी एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार कमेटियों का गठन किया जाता हैः—</p> <p><b>A- जयपुर/जोधपुर /अजमेर/उदयपुर/कोटा प्राधिकरण स्तर पर —</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>सम्बन्धित जोन उपायुक्त</td><td>अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>2</td><td>सहायक अभियन्ता</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>3</td><td>तहसीलदार</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>4</td><td>सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)</td><td>सदस्य</td></tr> </tbody> </table> <p><b>B नगर सुधार न्यास स्तर पर —</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>सम्बन्धित जोन</td><td>अध्यक्ष</td></tr> </tbody> </table>	1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष	2	सहायक अभियन्ता	सदस्य	3	तहसीलदार	सदस्य	4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य	1	सम्बन्धित जोन	अध्यक्ष	<p>नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि की शर्तों की पालना एवं निगरानी एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार कमेटियों का गठन किया जाता हैः—</p> <p><b>B- जयपुर/जोधपुर /अजमेर उदयपुर/कोटा प्राधिकरण स्तर पर —</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>सम्बन्धित जोन उपायुक्त</td><td>अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>2</td><td>सहायक अभियन्ता</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>3</td><td>तहसीलदार</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>4</td><td>सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)</td><td>सदस्य</td></tr> </tbody> </table> <p><b>B नगर सुधार न्यास स्तर पर —</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>सम्बन्धित जोन</td><td>अध्यक्ष</td></tr> </tbody> </table>	1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष	2	सहायक अभियन्ता	सदस्य	3	तहसीलदार	सदस्य	4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य	1	सम्बन्धित जोन	अध्यक्ष	यथावत
1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष																															
2	सहायक अभियन्ता	सदस्य																															
3	तहसीलदार	सदस्य																															
4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य																															
1	सम्बन्धित जोन	अध्यक्ष																															
1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष																															
2	सहायक अभियन्ता	सदस्य																															
3	तहसीलदार	सदस्य																															
4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य																															
1	सम्बन्धित जोन	अध्यक्ष																															

		उपायुक्त				उपायुक्त		
2		सहायक अभियन्ता	सदस्य		2	सहायक अभियन्ता	सदस्य	
3		तहसीलदार	सदस्य		3	तहसीलदार	सदस्य	
4		सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य		4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य	

C नगर निगम स्तर पर –

1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष
2	सहायक अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय	सदस्य

C नगर निगम स्तर पर –

1	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	अध्यक्ष
2	सहायक अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय	सदस्य

		अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)			अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)		
<b>D नगर परिषद् / नगरपालिका स्तर पर –</b>							
1	अधिशाषी अधिकारी/आयु त्त क नगर परिषद्/पालिक ा	अध्यक्ष		1	अधिशाषी अधिकारी/आयु त्त क नगर परिषद्/पालिक ा	अध्यक्ष	
2	सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता	सदस्य		2	सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता	सदस्य	
3	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य		3	सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उससे द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य	
7.7	रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नगरीय निकाय स्तर पर पृथक से रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक आवंटित भूमि का क्षेत्रफल, आवंटन की दर एवं अधिरोपित शर्तों आदि का विवरण			रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नगरीय निकाय स्तर पर पृथक से रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक आवंटित भूमि का क्षेत्रफल, आवंटन की दर एवं अधिरोपित शर्तों आदि का			यथावत

	<p>अंकित किया जायेगा। इस रजिस्टर में समिति द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण एवं निरीक्षण दिनांक व भौतिक सत्यापन पर पायी गयी वस्तुस्थिति का अंकन किया जायेगा।</p>	<p>विवरण अंकित किया जायेगा। इस रजिस्टर में समिति द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण एवं निरीक्षण दिनांक व भौतिक सत्यापन पर पायी गयी वस्तुस्थिति का अंकन किया जायेगा।</p>	
7.8	<p>उपरोक्त गठित समितियों रियायती दर पर भू—आवंटन के प्रत्येक प्रकरण में भूमि का भौतिक रूप त्रैमासिक निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी, जिसमें स्पष्ट किया जायेगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं तथा शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं और यदि आंशिक पालना की गई है, तो किन—किन शर्तों की पालना शेष है?</p>	<p>उपरोक्त गठित समितियों रियायती दर पर भू—आवंटन के प्रत्येक प्रकरण में भूमि का भौतिक रूप त्रैमासिक निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी, जिसमें स्पष्ट किया जायेगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं तथा शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं और यदि आंशिक पालना की गई है, तो किन—किन शर्तों की पालना शेष है?</p>	यथावत
7.9	<p>उक्त गठित समितियों द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा सम्बन्धित विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी प्रकरण में यह पाया जाता है कि आवंटित की गयी भूमि का निर्धारित किये गये उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है एवं आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है उन प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तीन माह की अवधि में नियमानुसार सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध भूमि के आवंटन को निरस्त करने एवं लीज डीड को निरस्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करेगा।</p>	<p>उक्त गठित समितियों द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा सम्बन्धित विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी प्रकरण में यह पाया जाता है कि आवंटित की गयी भूमि का निर्धारित किये गये उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है एवं आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है उन प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तीन माह की अवधि में नियमानुसार सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध भूमि के आवंटन को निरस्त करने एवं लीज डीड को निरस्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करेगा।</p>	यथावत
8	<p>सार्वजनिक उपयोग उद्योग व अन्य गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन –</p>	<p>सार्वजनिक उपयोग उद्योग व अन्य गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन –</p>	
8.1	<p>विभिन्न सार्वजनिक उपयोग, उधोग व अन्य</p>	<p>विभिन्न सार्वजनिक उपयोग, उधोग व अन्य</p>	

गतिविधियों के लिए यथा उद्योग, ट्यूरिज्म यूनिट, यूथ कलब, स्पोर्टस फेसिलिटी, गोल्फ कोर्स, ट्रांसपार्ट / पार्किंग से संबंधित प्रोजेक्ट, ठोस कचरा निस्तारण प्रोजेक्ट, गैस वितरण/आपूर्ति प्रोजेक्ट / गोदाम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कनवेंशन सेंटर, ओडिटोरियम, म्यूजियम, प्रदर्शनी / आर्ट गेलरी, ट्रेनिंग संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (R & D center), कलब, बस डिपो, नाईट शॉल्टर, स्टेडियम, मोटर ड्राईविंग स्कूल, कौशल विकास जैसे कार्यों तथा स्टेट एम्पायर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए कोई निजी निवेशक तथा कम्पनी अथवा साझेदारी फर्म या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय क्षेत्र में रिक्त भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप—ब में आवेदन—पत्र मय रूपये **5000/-** का डिमाण्ड डाफ्ट/पे—ऑर्डर सम्बन्धित नगरीय निकाय/न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में संबंधित निजी निवेशक, कम्पनी, साझेदारी फर्म आदि के द्वारा निम्नांकित तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करने होंगे—

- (i) प्रार्थी को प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण स्पष्ट करना होगा।
  - (ii) सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
  - (iii) कम्पनी का आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन संलग्न करना होगा।
  - iv) प्रार्थी को प्रस्तावित व्यवसाय का अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। इस संबंध में गत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट संलग्न करनी होगी।

गतिविधियों के लिए यथा उद्योग, ट्यूरिज्म यूनिट, यूथ क्लब, स्पोर्ट्स फेसिलिटी, गोल्फ कोर्स, ट्रांसपार्ट / पार्किंग से संबंधित प्रोजेक्ट, ठोस कचरा निस्तारण प्रोजेक्ट, गैस वितरण/आपूर्ति प्रोजेक्ट / गोदाम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कनवेंशन सेंटर, ओडिटोरियम, म्यूजियम, प्रदर्शनी / आर्ट गेलरी, ट्रेनिंग संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (R & D center), क्लब, बस डिपो, नाईट शॉल्टर, स्टेडियम, मोटर ड्राईविंग स्कूल, कौशल विकास जैसे कार्यों तथा स्टेट एम्पायर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए कोई निजी निवेशक तथा कम्पनी अथवा साझेदारी फर्म या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय क्षेत्र में रिक्त भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप—ब में आवेदन—पत्र मय रूपये 25000/- का डिमाण्ड डाफट/पे—ऑर्डर सम्बन्धित नगरीय निकाय/न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में संबंधित निजी निवेशक, कम्पनी, साझेदारी फर्म आदि के द्वारा निम्नांकित तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करने होंगे—

- (i) प्रार्थी को प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण स्पष्ट करना होगा।
  - (ii) सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
  - (iii) कम्पनी का आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन संलग्न करना होगा।
  - iv) प्रार्थी को प्रस्तावित व्यवसाय का अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। इस संबंध में गत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट संलग्न करनी होगी।

रुपये 5000/- के  
स्थान पर रुपये  
25000/- किया  
जाना प्रस्तावित।



	/ अन्य प्रयोजनार्थ	दर के 200 प्रतिशत पर + 15 प्रतिशत	की डीएलसी दर की 200 प्रतिशत + 20 प्रतिशत पर		/ पर	यथावत
				2	सार्वजनिक / अन्य प्रयोजनार्थ	आरक्षित दर के 200 प्रतिशत पर + 15 प्रतिशत
8.3	रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग संस्थान के लिये सम्भागीय मुख्यालय पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावगी। अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में परिशिष्ठ-2 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।	रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग संस्थान के लिये सम्भागीय मुख्यालय पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावगी। अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में परिशिष्ठ-2 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।	रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग संस्थान के लिये सम्भागीय मुख्यालय पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावगी। अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में परिशिष्ठ-2 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।	यथावत		
8.4	बिन्दु संख्या 8.2 में वर्णित दरों में शिथिलता केवल राज्य स्तर पर दी जा सकेगी। उक्त दरों की 50 प्रतिशत दरों पर भूमि आवंटन विभाग स्तर पर किया जा सकेगा। उक्त दरों से कम दरों पर आवंटन का यदि प्रस्ताव है, तो आरक्षित दर+15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+ 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत तक मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति द्वारा और इससे कम दर पर मंत्रिमण्डल द्वारा आवंटन किया जा सकेगा।	बिन्दु संख्या 8.2 में वर्णित दरों में शिथिलता केवल राज्य स्तर पर दी जा सकेगी। उक्त दरों की 50 प्रतिशत दरों पर भूमि आवंटन विभाग स्तर पर किया जा सकेगा। उक्त दरों से कम दरों पर आवंटन का यदि प्रस्ताव है, तो आरक्षित दर+15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+ 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत तक मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति द्वारा और इससे कम दर पर मंत्रिमण्डल द्वारा आवंटन किया जा सकेगा।	बिन्दु संख्या 8.2 में वर्णित दरों में शिथिलता केवल राज्य स्तर पर दी जा सकेगी। उक्त दरों की 50 प्रतिशत दरों पर भूमि आवंटन विभाग स्तर पर किया जा सकेगा। उक्त दरों से कम दरों पर आवंटन का यदि प्रस्ताव है, तो आरक्षित दर+15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+ 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत तक मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति द्वारा और इससे कम दर पर मंत्रिमण्डल द्वारा आवंटन किया जा सकेगा।	बिन्दु संख्या 8.2 में वर्णित दरों में शिथिलता केवल राज्य स्तर पर दी जा सकेगी। उक्त दरों की 50 प्रतिशत दरों पर भूमि आवंटन विभाग स्तर पर किया जा सकेगा। उक्त दरों से कम दरों पर आवंटन का यदि प्रस्ताव है, तो आरक्षित दर+15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+ 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, के 30 प्रतिशत तक मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति द्वारा और इससे कम दर पर मंत्रिमण्डल द्वारा आवंटन किया जा सकेगा।	यथावत	

8.5	<p>उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति (परिशिष्ट"2") द्वारा लिया जायेगा, जिसका अनुमोदन प्रभारी मंत्री से कराया जायेगा।</p>	<p>उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति (परिशिष्ट"2") द्वारा लिया जायेगा, जिसका अनुमोदन प्रभारी मंत्री से कराया जायेगा।</p>	यथावत
8.6	<p>भूमि आवंटन निर्णय के पश्चात मांग—पत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय के द्वारा जारी किया जावेगा। मांग राशि के साथ संबंधित निजी निवेशक / फर्म / कम्पनी द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। भूमि प्रारम्भिक तौर पर तीन वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की है, उस प्रयोजनार्थ भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भतन का निर्माण संबंधित नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि के एक वर्ष में प्रारम्भ कराना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात ही लीजडीड का निष्पादन किया जावेगा। सम्बन्धित निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि सम्बन्धित भूमि अतिक्रमण, विवाद रहित हो।</p>	<p>भूमि आवंटन निर्णय के पश्चात मांग—पत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय के द्वारा जारी किया जावेगा। मांग राशि के साथ संबंधित निजी निवेशक / फर्म / कम्पनी द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। भूमि प्रारम्भिक तौर पर तीन वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की है, उस प्रयोजनार्थ भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भतन का निर्माण संबंधित नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि के एक वर्ष में प्रारम्भ कराना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात ही लीजडीड का निष्पादन किया जावेगा। सम्बन्धित निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि सम्बन्धित भूमि अतिक्रमण, विवाद रहित हो।</p>	यथावत
8.7	<p>भूखण्ड आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर निर्माण कर <u>व्यवसाय प्रारम्भ</u> करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण / न्यास निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान कर सकते हैं व इसके अतिरिक्त <u>राज्य सरकार</u> स्तर पर एक वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है।</p>	<p>भूखण्ड आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर निर्माण कर <u>आवंटित उद्देश्य हेतु उपयोग</u> प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण / न्यास निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान कर सकते हैं व इसके अतिरिक्त <u>राज्य सरकार</u> स्तर पर अतिरिक्त छूट भूमि की आवंटित दर का 10% <u>प्रतिवर्ष शास्ति</u> के अधीन प्रदान की जा सकती है।</p>	<p><u>व्यवसाय के स्थान पर आवंटित उद्देश्य हेतु उपयोग</u> एवं <u>एक वर्ष की हटाया जाकर भूमि की आवंटित दर का 10% प्रतिवर्ष शास्ति</u> के अधीन किया जाना प्रस्तावित है।</p>

8.8	सार्वजनिक व अन्य प्रयोजन के लिए भूमि कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए आवंटित की जावेगी। भूमि की मात्रा का निर्धारण विभाग, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति अथवा मंत्रिमण्डल, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जायेगा।	सार्वजनिक व अन्य प्रयोजन के लिए भूमि कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए आवंटित की जावेगी। भूमि की मात्रा का निर्धारण विभाग, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति अथवा मंत्रिमण्डल, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जायेगा।	यथावत
8.9	सार्वजनिक व अन्य प्रयोजनार्थ भूमि के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूमि नीलामी से उच्चतम बोलीदाता को दी जावेगी।	सार्वजनिक व अन्य प्रयोजनार्थ भूमि के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूमि नीलामी से उच्चतम बोलीदाता को दी जावेगी।	यथावत
8.10	किसी भी संस्था / कम्पनी को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।	किसी भी संस्था / कम्पनी को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।	यथावत
8.11	आवंटित भूमि 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की जावेगी तथा लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी। परन्तु विशिष्ट प्रकरणों में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 99 वर्ष से कम अवधि के लिये लीज पर आवंटन किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी प्रकरण में यह अवधि 30 वर्ष से कम नहीं होगी। 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर पर देय होगी तथा उसके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।		सामान्य बिन्दुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
8.12	आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित विभाग का होगा।	आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित विभाग का होगा।	यथावत

8.13	आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है. उन शर्तों का उल्लंघन होने पर स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा अथवा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।	आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है. उन शर्तों का उल्लंघन होने पर स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा अथवा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।	यथावत
8.14	निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भूमि के अंकित उपयोग के अनुसार ही भूमि आवंटित की जावेगी, अन्यथा यथा आवश्यकता भू—उपयोग परिवर्तन नियमानुसार हो जाने की स्थिति में ही भूमि आवंटित की जा सकेंगी।	निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भूमि के अंकित उपयोग के अनुसार ही भूमि आवंटित की जावेगी, अन्यथा यथा आवश्यकता भू—उपयोग परिवर्तन नियमानुसार हो जाने की स्थिति में ही भूमि आवंटित की जा सकेंगी।	यथावत
8.15	निःशुल्क भूमि आवंटन व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जावेगा।		सामान्य शर्तों में शामिल किया जाना
8.16	उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट / शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेंगी।		सामान्य शर्तों में शामिल किया जाना
9	<b>राजकीय विभागों / उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन:-</b>	राजकीय विभागों / उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन:-	
9.1	ऐसी आवेदक संस्था, यदि वह राज्य सरकार का कोई राजकीय विभाग है अथवा उपक्रम है तो वह भूमि आवंटन के लिए प्रारूप—स में आवेदन के साथ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करेगा।	ऐसी आवेदक संस्था, यदि वह राज्य सरकार का कोई राजकीय विभाग है अथवा उपक्रम है तो वह भूमि आवंटन के लिए प्रारूप—स में आवेदन के साथ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करेगा।	यथावत
9.2	राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा पोषित मण्डल / निगम / उपक्रम आदि को भूमि की आवश्यकता होने पर स्थानीय निकाय के द्वारा भूमि प्राथमिकता से आवंटन की जावेगी।	राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा पोषित मण्डल / निगम / उपक्रम आदि को भूमि की आवश्यकता होने पर स्थानीय निकाय के द्वारा भूमि प्राथमिकता से आवंटन की जावेगी।	यथावत

9.3	<p>राजकीय विभागों को निम्न सारणी में अंकित विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर की जा सकती हैः—</p> <table border="1" data-bbox="333 241 1051 1503"> <thead> <tr> <th data-bbox="333 241 572 339">क्र.सं.</th><th data-bbox="572 241 811 339">विभाग का नाम</th><th data-bbox="811 241 1051 339">क्षेत्रफल (वर्गमीटर)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="333 339 572 605">1</td><td data-bbox="572 339 811 605">प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय</td><td data-bbox="811 339 1051 605">संभागीय मुख्यालय पर 2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 व.मी. तक</td></tr> <tr> <td data-bbox="333 605 572 871">2</td><td data-bbox="572 605 811 871">माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय</td><td data-bbox="811 605 1051 871">संभागीय मुख्यालय पर 4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 व.मी. तक</td></tr> <tr> <td data-bbox="333 871 572 1153">3</td><td data-bbox="572 871 811 1153">महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटी. आई सहित)</td><td data-bbox="811 871 1051 1153">संभागीय मुख्यालय पर 10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 13,000 व.मी. तक</td></tr> <tr> <td data-bbox="333 1153 572 1503">4</td><td data-bbox="572 1153 811 1503">जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन</td><td data-bbox="811 1153 1051 1503">1000 व.मी. तक</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 व.मी. तक	2	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 व.मी. तक	3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटी. आई सहित)	संभागीय मुख्यालय पर 10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 13,000 व.मी. तक	4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 व.मी. तक	अलग से परिशिष्ट बनाया गया है।
क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)															
1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 व.मी. तक															
2	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 व.मी. तक															
3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटी. आई सहित)	संभागीय मुख्यालय पर 10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 13,000 व.मी. तक															
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 व.मी. तक															

	5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 व.मी. तक		
	6	उप स्वास्थ्य भवन	500 व.मी. तक		
	7	पुलिस थाना	2000 व.मी. तक		
	8	पुलिस चौकी	500 व.मी. तक		
	9	अन्य ग्राम / ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय	500 व.मी. तक		
	10	अन्य तहसील / पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय	4000 व.मी. तक		
	11	अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय	5000 व.मी. तक		
	<p>उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावें। राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल / निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार</p>				
	<p style="text-align: right;">बिन्दु संख्या 12 एवं 13 जोड़ा जाना प्रस्तावित</p>				

	से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।"		
9.4	राजकीय विभागों को भूमि की आवश्यकता होने पर अपने संभाग / जिला मुख्यालय पर संबंधित विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निकाय में आवेदन कर, नगरीय विकास विभाग / स्वायत्त शासन विभाग को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, उद्देश्य एवं समय सीमा उल्लेखित हो, के साथ भिजवाना होगा।	राजकीय विभागों को भूमि की आवश्यकता होने पर अपने संभाग / जिला मुख्यालय पर संबंधित विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निकाय में आवेदन कर, नगरीय विकास विभाग / स्वायत्त शासन विभाग को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, उद्देश्य एवं समय सीमा उल्लेखित हो, के साथ भिजवाना होगा।	यथावत
9.5	संबंधित प्राधिकरण, न्यास, आवासन मण्डल व नगरपालिकाओं द्वारा राजकीय विभागों को भूमि बिना किसी विलम्ब के आवंटन करने की कार्यवाही की जावेगी।	संबंधित प्राधिकरण, न्यास, आवासन मण्डल व नगरपालिकाओं द्वारा राजकीय विभागों को भूमि बिना किसी विलम्ब के आवंटन करने की कार्यवाही की जावेगी।	यथावत
9.6	आवेदित भूमि जिस उपयोग के लिए चाही जा रही है वह मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होना चाहिए अन्यथा भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होना चाहिय अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन के नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ही भूमि आवंटन पर विचार हो सकेगा।	आवेदित भूमि जिस उपयोग के लिए चाही जा रही है वह मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होना चाहिए अन्यथा भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होना चाहिय अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन के नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ही भूमि आवंटन पर विचार हो सकेंगा।	यथावत
9.7	उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट / शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।		सामान्य शर्तों में शामिल किया जाना प्रस्तावित।
9.8	केन्द्र सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को राज्य सरकार की अनुमति से आरक्षित दर 15 प्रतिशत अथवा डी.एल.सी. दर. 20 प्रतिशत पर जैसी भी स्थिति हो भूमि आंवटन की जा सकेगी।	केन्द्र सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को राज्य सरकार की अनुमति से आरक्षित दर 15 प्रतिशत अथवा डी.एल.सी. दर. 20 प्रतिशत पर जैसी भी स्थिति हो भूमि आंवटन की जा सकेगी।	यथावत

9.9	<p>केन्द्र सरकार द्वारा पोषित मण्डल / निगम / उपक्रम को राज्य सरकार की अनुमति से आरक्षित दर की 150 प्रतिशत् 15 प्रतिशत अथवा डी.एल.सी. दर की 150 प्रतिशत् 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो पर भूमि आवंटन की जा सकेगी।</p> <p><b>राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन:-</b></p>	<p>केन्द्र सरकार द्वारा पोषित मण्डल / निगम / उपक्रम को राज्य सरकार की अनुमति से आरक्षित दर की 150 प्रतिशत् 15 प्रतिशत अथवा डी.एल.सी. दर की 150 प्रतिशत् 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो पर भूमि आवंटन की जा सकेगी।</p> <p><b>राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन:-</b></p>	यथावत
10.	<p>राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन:-</p> <p>राजनैतिक दल प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। जनमत बनाने, जनाभिव्यक्ति, चुनाव लड़ने, सरकार बनाने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिये इनके अपने राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय संगठनों को समय—समय पर बैठकें आयोजित करनी पड़ती है। कई बार यह अपने सदस्यों / जन-प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठकें भी आयोजित करते हैं। अतः इन उद्देश्यों के लिये समय—समय पर इनके द्वारा कार्यालय स्थापित करने व अपनी गतिविधियों को कार्यरूप देने हेतु भूमि आवंटन की मांग की जाती रही है। उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थानीय इकाइयों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो इस अनुच्छेद में आगे वर्णित है।</p>	<p>राजनैतिक दल प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। जनमत बनाने, जनाभिव्यक्ति, चुनाव लड़ने, सरकार बनाने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिये इनके अपने राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय संगठनों को समय—समय पर बैठकें आयोजित करनी पड़ती है। कई बार यह अपने सदस्यों / जन-प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठकें भी आयोजित करते हैं। अतः इन उद्देश्यों के लिये समय—समय पर इनके द्वारा कार्यालय स्थापित करने व अपनी गतिविधियों को कार्यरूप देने हेतु भूमि आवंटन की मांग की जाती रही है। उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थानीय इकाइयों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो इस अनुच्छेद में आगे वर्णित है।</p>	यथावत
10.2	<p>इस नीति के अन्तर्गत भूमि का आवंटन केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को ही किया जायेगा। ऐसे राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु निर्धारित “प्रारूप—द” में आवेदन—पत्र तथा उसके संलग्न आवश्यक सूचना मय <b>रुपये 5000/-</b> का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पै—ऑर्डर सम्बन्धित नगरीय निकाय में</p>	<p>इस नीति के अन्तर्गत भूमि का आवंटन केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को ही किया जायेगा। ऐसे राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु निर्धारित “प्रारूप—द” में आवेदन—पत्र तथा उसके संलग्न आवश्यक सूचना मय <b>रुपये 25000/-</b> का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पै—ऑर्डर सम्बन्धित नगरीय निकाय में</p>	<b>रुपये 5000/- के स्थान पर रुपये 25000/- किया जाना प्रस्तावित।</b>

	प्रस्तुत करना होगा।	प्रस्तुत करना होगा।	
10.3	भूमि आवंटन हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष, और जहाँ राजनैतिक दल की राज्य ईकाई में अध्यक्ष का पद नहीं होता है वहाँ राज्य ईकाई के सचिव के द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदन किया जावेगा।	भूमि आवंटन हेतु सम्बन्धित राजनैतिक दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष, और जहाँ राजनैतिक दल की राज्य ईकाई में अध्यक्ष का पद नहीं होता है वहाँ राज्य ईकाई के सचिव के द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदन किया जावेगा।	यथावत
10.4	आवेदन के साथ भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।	आवेदन के साथ भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।	यथावत
10.5	आवंटित भूमि का किसी भी रूप में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा और राजनैतिक दल के द्वारा संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।	आवंटित भूमि का किसी भी रूप में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा और राजनैतिक दल के द्वारा संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।	यथावत
10.6	वित्तीय मानदण्डों में प्रस्तावित कार्य की पूर्ण लागत, आर्थिक व तकनीकी, क्षमता, प्रस्तावित कार्यों को करने हेतु आवश्यक राशि का स्त्रोत व आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना होगा।	वित्तीय मानदण्डों में प्रस्तावित कार्य की पूर्ण लागत, आर्थिक व तकनीकी, क्षमता, प्रस्तावित कार्यों को करने हेतु आवश्यक राशि का स्त्रोत व आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना होगा।	यथावत
10.7	भूमि आवंटन का निर्णय होने के पश्चात स्थानीय निकाय के द्वारा मांग-पत्र जारी किया जावेगा, जिसके अनुरूप मांग राशि के साथ संबंधित राजनैतिक दल द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। भूमि प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आंवटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसके अनुरूप भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भवन का निर्माण संबंधित नगरीय	भूमि आवंटन का निर्णय होने के पश्चात स्थानीय निकाय के द्वारा मांग-पत्र जारी किया जावेगा, जिसके अनुरूप मांग राशि के साथ संबंधित राजनैतिक दल द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। भूमि प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आंवटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसके अनुरूप भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भवन का निर्माण संबंधित नगरीय	यथावत

	<p>निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे उक्त निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, उस स्थिति में भूमि आवंटन स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् निरस्त किया जा सकता है। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही लीजडीड का निष्पादन किया जावेगा।</p>	<p>निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे उक्त निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, उस स्थिति में भूमि आवंटन स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् निरस्त किया जा सकता है। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही लीजडीड का निष्पादन किया जावेगा।</p>	
10.8	<p>भूखण्ड आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् भूमि आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण/न्यास निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान कर सकते हैं व राज्य सरकार स्तर पर एक वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है।</p>	<p>भूखण्ड आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् भूमि आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण/न्यास निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान कर सकते हैं व <b>राज्य सरकार स्तर पर अतिरिक्त छूट भूमि की आवंटित दर का 10% प्रतिवर्ष शास्ति के अधीन प्रदान की जा सकती है।</b></p>	<p><b>एक वर्ष की हटाया जाकर भूमि की आवंटित दर का 10% प्रतिवर्ष शास्ति के अधीन किया जाना प्रस्तावित है।</b></p>
10.9	<p>आवंटित भूमि 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की जावेगी तथा लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी।</p>		<p><b>सामान्य शर्तों में शामिल किया जाना प्रस्तावित।</b></p>
10.10	<p>आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय का होगा। आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा अथवा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।</p>	<p>आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय का होगा। आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा अथवा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।</p>	<p>यथावत</p>

10.11	<p>मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल व दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा:-</p> <table border="1" data-bbox="325 241 1051 1459"> <thead> <tr> <th></th><th>स्थान</th><th>विकसित भूमि होने की स्थिति में</th><th>अविकसित भूमि होने की स्थिति में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 425 418 736">1</td><td data-bbox="418 425 650 736">जयपुर</td><td data-bbox="650 425 1051 736">           अधिकतम            6000            वर्गमीटर            भूमि            आरक्षित            दर+15            प्रतिशत पर         </td><td data-bbox="1051 425 1262 736">           अधिकतम            6000            वर्गमीटर            भूमि कृषि            भूमि की            दर+20            प्रतिशत         </td></tr> <tr> <td data-bbox="325 736 418 1078">2</td><td data-bbox="418 736 650 1078">संभागीय मुख्यालय</td><td data-bbox="650 736 1051 1078">           अधिकतम            3000            वर्गमीटर            भूमि            आरक्षित            दर+15            प्रतिशत पर         </td><td data-bbox="1051 736 1262 1078">           अधिकतम            3000            वर्गमीटर            भूमि कृषि            भूमि की            डी.एल.सी.            दर+20            प्रतिशत         </td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1078 418 1459">3</td><td data-bbox="418 1078 650 1459">जिला मुख्यालय</td><td data-bbox="650 1078 1051 1459">           अधिकतम            2000            वर्गमीटर            भूमि            आरक्षित            दर+15            प्रतिशत पर         </td><td data-bbox="1051 1078 1262 1459">           अधिकतम            2000            वर्गमीटर            भूमि कृषि            भूमि की            डी.एल.सी.            दर+20            प्रतिशत         </td></tr> </tbody> </table>		स्थान	विकसित भूमि होने की स्थिति में	अविकसित भूमि होने की स्थिति में	1	जयपुर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की दर+20 प्रतिशत	2	संभागीय मुख्यालय	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत	3	जिला मुख्यालय	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत	अलग से परिशिष्ट बनाया गया हैं
	स्थान	विकसित भूमि होने की स्थिति में	अविकसित भूमि होने की स्थिति में															
1	जयपुर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की दर+20 प्रतिशत															
2	संभागीय मुख्यालय	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत															
3	जिला मुख्यालय	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत															

10.12	यदि पूर्व में कोई आवंटन हुआ हो तो द्वितीय आवंटन, आवंटन की जाने वाली भूमि की उक्त सीमा तक ही होगा व पूर्व आंवटित भूमि उसमें से घटा दी जावेगी।	यदि पूर्व में कोई आवंटन हुआ हो तो द्वितीय आवंटन, आवंटन की जाने वाली भूमि की उक्त सीमा तक ही होगा व पूर्व आंवटित भूमि उसमें से घटा दी जावेगी।	यथावत
10.13	यदि कोई राजनैतिक दल भूमि आवंटन के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह जाता है, तो आंवटित भूमि एवं निर्मित भवन स्थानीय निकाय द्वारा अपने कब्जे में ले ली जावेगी।		हटाया प्रस्तावित
11.		<u>समाचार पत्रों (मीडिया प्रतिष्ठानों) को भूमि का आवंटन:-</u>	नया भाग / बिन्दु जोड़ा जाना प्रस्तावित।
11.1		इस नीति के अन्तर्गत भूमि का आवंटन केवल पंजीकृत समाचार पत्रिकाओं को ही किया जायेगा। ऐसे समाचार पत्रों को भूमि आवंटन हेतु निर्धारित "प्रारूप-द" में आवेदन-पत्र तथा उसके संलग्न आवश्यक सूचना मय रूपये 25000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर सम्बन्धित नगरीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा।	
11.2		भूमि आवंटन हेतु सम्बन्धित समाचार पत्रिका के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदन किया जावेगा।	
11.3		आवेदन के साथ भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।	
11.4		आंवटित भूमि का किसी भी रूप में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा।	

11.5	<p>वित्तीय मानदण्डों में प्रस्तावित कार्य की पूर्ण लागत, आर्थिक व तकनीकी, क्षमता, प्रस्तावित कार्यों को करने हेतु आवश्यक राशि का स्रोत व आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना होगा।</p>
11.6	<p>भूमि आवंटन का निर्णय होने के पश्चात् स्थानीय निकाय के द्वारा मांग-पत्र जारी किया जावेगा, जिसके अनुरूप मांग राशि के साथ संबंधित पत्रिका द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। भूमि प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आंवंटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है, उसके अनुरूप भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भवन का निर्माण संबंधित नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे उक्त निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, उस स्थिति में भूमि आवंटन स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् निरस्त किया जा सकता है। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही लीजडीड का निष्पादन किया जावेगा।</p>
11.7	<p>भूखण्ड आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् भूमि आवटन निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण/न्यास निर्माण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान कर सकते हैं व राज्य सरकार स्तर पर अतिरिक्त छूट भूमि की</p>

		आवंटित दर का 10% प्रतिवर्ष शास्ति के अधीन प्रदान की जा सकती है।
11.8		आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय का होगा। आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा अथवा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
11.9		राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय के समाचार पत्रों का वर्गीकरण राजस्थान एडवरटाईजमेन्ट नियम के अन्तर्गत किया जायेगा। राज्य/केन्द्रीय स्तर के समाचार पत्रों को संभागीय मुख्यालयों पर किया जायेगा।
11.10		यदि पूर्व में कोई आवंटन हुआ हो तो द्वितीय आवंटन, आवंटन की जाने वाली भूमि की उक्त सीमा तक ही होगा व पूर्व आंवटित भूमि उसमें से घटा दी जावेगी! द्वितीय आवंटन उन्हीं समाचार पत्रों को किया जायेगा, जिन्होंने 05 वर्ष प्रकाशन किया है। DIPR से इस हेतु प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
11.11		समाचार पत्रों को आवंटन प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन सुविधाओं आदि के लिए किया जायेगा।
11.12		राजस्थान राज्य में 05 वर्ष प्रकाशन के समाचार पत्रों को रियायती दर पर भूमि के आवंटन पर विचार किया जा सकेगा।

11.13	<p>भूमि की लागत समाचार पत्रों से 06 समान किस्तों में वसूली जायेगी। मांग-पत्र जारी होने के 30 दिवस की अवधि में राशि जमा करानी होगी अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज देय होगा, लेकिन भूमि का कब्जा पूर्ण भुगतान के बाद किया जायेगा।</p> <p>परन्तु यदि आवंटी पश्चात्‌वर्ती किश्तों का भुगतान नहीं करता है तो आवंटन 1/10 राशि जब्त की जाकर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।</p>
11.14	<p>एकबारीय आवंटन रियायती दर पर किया जा सकेगा।</p>
11.15	<p>नगरीय निकाय निम्न आधारों पर सबलेटिंग की अनुमति प्रदान कर सकता है:-</p>

12	<p><b>सामान्य बिन्दुः—</b></p> <p>आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर एवं इससे कम पर भूमि आवंटन होने पर लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर से अधिक दर पर भूमि आवंटन होने पर भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम के अनुसार आरक्षित दर/ डी.एल.सी. दर पर लीज देय होगी।</p> <p>10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर</p>	<p>पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, संचालित नहीं होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii) सबलेटिंग से प्राप्त आय संस्था की सम्पदा के प्रयोग में ली जायेगी।</li> <li>iii) सबलेटिंग चार्जेज 10% रेन्ट/सेवा शुल्क/अनुज्ञाप्ति शुल्क, जो कि आवंटी द्वारा सबलेट से वसूला जाता है।</li> <li>iv) सबलेटिंग क्षेत्र का 40% से अधिक आवासीय हेतु नहीं होना चाहिए।</li> <li>v) यदि आवंटी संस्था द्वारा निर्धारित 60% से अधिक क्षेत्र सबलेट किये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जायेगा।</li> <li>vi) यदि संस्था द्वारा स्वयं नहीं आती है तो सबलेटिंग चार्ज दुगुना वसूला जायेगा। A-यह सुविधा/अनुमति उन्हीं आवंटी संस्थाओं को प्राप्त होगी जिनका पंजीकरण 30 वर्ष पुराना है।</li> </ul> <p><b>सामान्य बिन्दुः—</b></p> <p>आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर एवं इससे कम पर भूमि आवंटन होने पर लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर से अधिक दर पर भूमि आवंटन होने पर भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम के अनुसार आरक्षित दर/ डी.एल.सी. दर पर लीज देय होगी।</p> <p>10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर</p>	यथावत
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

	पर देय होगी तथा उसके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।	पर देय होगी तथा उसके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।	यथावत
12.2	भूमि आवंटन के प्रकरणों में सामान्यतः 99 वर्ष की लीज अवधि होगी। लेकिन राज्य स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किसी प्रकरण विशेष में लीज अवधि को 99 वर्ष के बजाय कम अवधि करने पर विचार निर्णय कर सकती है, परन्तु यह अवधि 30 वर्ष से कम नहीं होगी।	भूमि आवंटन के प्रकरणों में सामान्यतः 99 वर्ष की लीज अवधि होगी। लेकिन राज्य स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किसी प्रकरण विशेष में लीज अवधि को 99 वर्ष के बजाय कम अवधि करने पर विचार निर्णय कर सकती है, परन्तु यह अवधि 30 वर्ष से कम नहीं होगी।	यथावत
12.3	99 वर्ष से कम अवधि के लीज प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित भूखण्ड नीलामी हेतु रखा जावेगा, परन्तु नीलामी में प्राप्त होने वाली अधिकतम राशि पर उस भूखण्ड के मौजूदा आवंटी को मना करने का प्रथम अधिकार (First right of refusal) होगा।	99 वर्ष से कम अवधि के लीज प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित भूखण्ड नीलामी हेतु रखा जावेगा, परन्तु नीलामी में प्राप्त होने वाली अधिकतम राशि पर उस भूखण्ड के मौजूदा आवंटी को मना करने का प्रथम अधिकार (First right of refusal) होगा।	यथावत
12.4	किसी सेक्टर विशेष के लिये जैसे मेडिकल / पर्यटन/शिक्षा आदि के तहत यदि कोई पृथक नीति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है तो उस नीति के भू-आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार भू-आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	किसी सेक्टर विशेष के लिये जैसे मेडिकल / पर्यटन/शिक्षा आदि के तहत यदि कोई पृथक नीति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है तो उस नीति के भू-आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार भू-आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	यथावत
12.5	आवंटन नीति में जहां-जहां यह लिखा गया है कि विकसित भूमि का आवंटन किया जावेगा और आरक्षित दर पर आवंटन होगा, इसका आशय है कि आवंटन आरक्षित दर 15 प्रतिशत शहरी निकायों को देने वाली राशि सहित होगा अर्थात् कुल 115 प्रतिशत पर होगा। जहां जहां डीएलसी का जिक्र है, वहां डीएलसी + 20 प्रतिशत निकायों को जाने वाली राशि अर्थात् 120 प्रतिशत पर होगा। यदि इस आवंटन को	आवंटन नीति में जहां-जहां यह लिखा गया है कि विकसित भूमि का आवंटन किया जावेगा और आरक्षित दर पर आवंटन होगा, इसका आशय है कि आवंटन आरक्षित दर 15 प्रतिशत शहरी निकायों को देने वाली राशि सहित होगा अर्थात् कुल 115 प्रतिशत पर होगा। जहां जहां डीएलसी का जिक्र है, वहां डीएलसी + 20 प्रतिशत निकायों को जाने वाली राशि अर्थात् 120 प्रतिशत पर होगा। यदि इस	यथावत

	50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत दर पर किया जाता है तो उक्त राशि जसी अनुपात में कम हो जावेगी।	आवंटन को 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत दर पर किया जाता है तो उक्त राशि जसी अनुपात में कम हो जावेगी।	
12.6	आरक्षित दर से आशय "जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन किया जा रहा है, उस प्रयोजन हेतु प्रचलित आरक्षित दर से है।" यदि किसी क्षेत्र में आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, तो उस क्षेत्र में डी.एल.सी. दर पर आवंटन किया जा सकेगा।	आरक्षित दर से आशय "जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन किया जा रहा है, उस प्रयोजन हेतु प्रचलित आरक्षित दर से है।" यदि किसी क्षेत्र में आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, तो उस क्षेत्र में डी.एल.सी. दर पर आवंटन किया जा सकेगा।	यथावत
12.7	डी.एल.सी. दर से आशय जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र की निर्धारित की गयी डी.एल.सी. दर से है।	डी.एल.सी. दर से आशय जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र की निर्धारित की गयी डी.एल.सी. दर से है।	यथावत
12.8	अविकसित भूमि से आशय गैर योजना क्षेत्र की ऐसी भूमि से है जिसमें पक्की सड़क, पानी बिजली की आधारभूमि सुविधा उपलब्ध नहीं हो।	अविकसित भूमि से आशय गैर योजना क्षेत्र की ऐसी भूमि से है जिसमें पक्की सड़क, पानी बिजली की आधारभूमि सुविधा उपलब्ध नहीं हो।	यथावत
12.9	उक्त प्रावधान इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों / परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए लागू किये जाते हैं। उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु यथा आवंटित भूमि के क्षेत्रफल, किसी प्रकरण विशेष में पश्चातवर्ती भू—आवंटन, आवंटन की शर्तों या अन्य किसी भी प्रावधान में छूट / शिथिलता मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर दी जा सकेगी, लेकिन मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति किसी भी प्रकार का भूमि आवंटन आरक्षित दर +15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, की 30 प्रतिशत दर, तक कर सकेगी। इससे कम दर पर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	उक्त प्रावधान इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों / परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए लागू किये जाते हैं। उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु यथा आवंटित भूमि के क्षेत्रफल, किसी प्रकरण विशेष में पश्चातवर्ती भू—आवंटन, आवंटन की शर्तों या अन्य किसी भी प्रावधान में छूट / शिथिलता मंत्री/मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर दी जा सकेगी, लेकिन मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति किसी भी प्रकार का भूमि आवंटन आरक्षित दर +15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, की 30 प्रतिशत दर एवं मंत्री महोदय द्वारा भूमि आवंटन आरक्षित दर +15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, की 50 प्रतिशत दर, तक कर सकेगी। इससे कम दर पर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया	मंत्री महोदय द्वारा भूमि आवंटन आरक्षित दर +15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर+20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, की 50 प्रतिशत दर, तक कर सकेगी, किया जाना प्रस्तावित।

		जायेगा।	
12.10	यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी नीति के प्रावधान लागू होंगे, परन्तु पूर्व निर्णित मामलों में यह लागू नहीं होगी।	यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी नीति के प्रावधान लागू होंगे, परन्तु पूर्व निर्णित मामलों में यह लागू नहीं होगी।	यथावत
12.11	इस आवंटन नीति के तहत आवंटन करने एवं आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जायेगा।	इस आवंटन नीति के तहत आवंटन करने एवं आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जायेगा।	यथावत
12.12	उपरोक्त नीति राज्य के सभी नगरीय निकायों / न्यासों / प्राधिकरणों व राजस्थान आवासन मण्डल पर लागू होगी।	उपरोक्त नीति राज्य के सभी नगरीय निकायों / न्यासों / प्राधिकरणों व राजस्थान आवासन मण्डल पर लागू होगी।	यथावत
12.13	बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित आवंटन के अतिरिक्त अन्य समस्त आवंटन प्रकरणों में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उसे संबंधित निकाय की वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए डाला जायेगा, ताकि उस पर आम—जन की टिप्पणी / आपत्ति प्राप्त की जा सकें।	बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित आवंटन के अतिरिक्त अन्य समस्त आवंटन प्रकरणों में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उसे संबंधित निकाय की वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए डाला जायेगा, ताकि उस पर आम—जन की टिप्पणी / आपत्ति प्राप्त की जा सकें।	यथावत
12.14	राज्य सरकार के राजकीय विभागों के अलावा बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। बेशकीमती भूमि से आशय उस भूमि से है, जो संबंधित निकाय/प्राधिकरण / न्यास/आवासन मण्डल में अधिकतम डी.एल.सी. या आरक्षित दर की भूमि है।	राज्य सरकार के राजकीय विभागों के अलावा बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। बेशकीमती भूमि से आशय उस भूमि से है, जो संबंधित निकाय/प्राधिकरण / न्यास/आवासन मण्डल में अधिकतम डी.एल.सी. या आरक्षित दर की भूमि है।	यथावत

12.15	<p>अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर किये जाने वाला आवंटन तथा निर्णय, चाहे वह भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित हो या पुनर्गठन / उपविभाजन अथवा स्थान परिवर्तन से सम्बन्धित हो या अन्य किसी विषय से सम्बन्धित हो या किन्हीं शर्तों के परिवर्तन/शिथिलन से सम्बन्धित हो, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी भी दूसरी समिति या प्राधिकारी के पास परीक्षण एवं निर्णय हेतु भेजा नहीं जायेगा। सम्बन्धित नगरीय निकाय, जो किसी भी स्तर की हो, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय की पालना करके पालना रिपोर्ट 30 दिन के भीतर विभाग को भेजेगा।</p>	<p>अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर किये जाने वाला आवंटन तथा निर्णय, चाहे वह भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित हो या पुनर्गठन / उपविभाजन अथवा स्थान परिवर्तन से सम्बन्धित हो या अन्य किसी विषय से सम्बन्धित हो या किन्हीं शर्तों के परिवर्तन/शिथिलन से सम्बन्धित हो, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी भी दूसरी समिति या प्राधिकारी के पास परीक्षण एवं निर्णय हेतु भेजा नहीं जायेगा। सम्बन्धित नगरीय निकाय, जो किसी भी स्तर की हो, मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय की पालना करके पालना रिपोर्ट 30 दिन के भीतर विभाग को भेजेगा।</p>	यथावत
12.16		<p>न्यास / प्राधिकरण / स्थानीय निकायों द्वारा बेशकीमती जमीन को रियायती दरों पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।</p>	प्रतिस्थापित
12.17		<p>आवेदक संस्था को आवेदन—पत्र के साथ भूमि आवंटन , का स्पष्ट प्रयोजन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, जिसमें परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, उस पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण तथा वित्तीय लागत अनुमान और भवन का किन उद्देश्यों के लिए उपयोग लिए जायेगा, स्पष्ट विवरण देना होगा। परियोजना रिपोर्ट में निर्माण कार्य शुरू करना तथा उस पूरा किये जाने का</p>	प्रतिस्थापित

		निर्धारित समय भी दर्शाना होगा। परियोजना के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख, परियोजना रिपोर्ट में भी करना होगा।	
12.18		आवेदक संस्था द्वारा यदि पूर्व में किसी भी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से कहीं भी भूमि प्राप्त की गई है तो उसका पूर्ण विवरण तथा इसके उपयोग की वर्तमान स्थिति व विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट वर्णित किया जायेगा।	प्रतिस्थापित
12.19		आवेदक, संस्था को यह भी आवेदन—पत्र में स्पष्ट रूप में दर्शाना होगा कि भूमि आवंटन से परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व किस प्रकार मिलेगा।	प्रतिस्थापित
12.20		संस्थाओं को पूर्व में आवंटित भूमियों एवं अब आवंटित की जाने वाली भूमियों के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा संबंधित संस्था को 30 दिवस में राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जायेगा। 30 दिवस में राशि जमा नहीं होने पर नगरीय निकाय राशि जमा कराने हेतु 30 दिवस का अतिरिक्त समय दे सकेगी। 60 दिवस की अवधि के पश्चात् अगले <u>30 दिवस</u> में राशि जमा कराने पर 12 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा तथा आवेदक संस्था द्वारा कुल एक वर्ष की अवधि में राशि जमा न कराने पर आंवटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राशि जमा कराने बाबत राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।	प्रतिस्थापित  10 महिनों के स्थान पर <u>30 दिवस</u> में प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित।

12.21	निःशुल्क भूमि आवंटन व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जावेगा।	प्रतिस्थापित
12.22	उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट / शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।	प्रतिस्थापित
12.23	आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन <u>सुनवाई का अवसर दिया जाकर</u> निरस्त कर दिया जायेगा।	प्रतिस्थापित एवं <u>सुनवाई का अवसर दिया जाकर</u> अंकित करना प्रस्तावित।
12.24	आवंटित भूमि 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की जावेगी तथा लीज राशि आवंटन दर पर देय होगी। परन्तु विशिष्ट प्रकरणों में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 99 वर्ष से कम अवधि के लिये लीज पर आवंटन किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी प्रकरण में यह अवधि 30 वर्ष से कम नहीं होगी। 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के मामलों में लीज राशि प्रथम पांच वर्षों के लिये आवंटन दर पर देय होगी तथा उसके पश्चात् लीज राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।	प्रतिस्थापित
12.25	उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट / शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।	प्रतिस्थापित
12.26	राज्य सरकार के समस्त शहरों के मास्टर प्लान/जोनल डफलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा-पार्क, खुले-स्थल, ईकों-सेसिटिव नया सामान्य बिन्दु जोड़ा जाना प्रस्तावित	नया सामान्य बिन्दु जोड़ा जाना प्रस्तावित

	<p>जोन प्लानटेंशन जोन एवं ईकोलाजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य शहरों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत G-1&amp;G-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू—उपयोगों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय शैक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएँ, सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रशिक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति पार्क, खेल—मैदान, स्टेडियम (इनडोर/आउट डोर), स्पोर्ट कॉम्लेक्स जनउपयोगी सुविधाएँ यथा—सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, ग्रिड सब—स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वॉटर फिल्टर एवं ट्रिटमेंट प्लांट, पुलिस लाइन, पुलिस चौकी/थाना, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्निशमन केन्द्र, शमशान, कब्रिस्तान, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड/बस स्टॉप, हेलीपेड, रेलवे, आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू—उपयोग, टाउन हॉल, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय इत्यादि सुविधाएँ अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। इसके लिए भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में समस्त क्षत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय का राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त राजकीय विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>अतः भूमि आवंटन के संबंध में नीति के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## परिशिष्ट—अ

### 1 शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड

क्र.सं	शैक्षणिक संस्थान	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल
1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय	2,000 वर्गमीटर तक	3,000 वर्गमीटर तक
2	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	4,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक
3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई. सहित)	10,000 वर्गमीटर तक	6,000 वर्गमीटर तक
4	निश्क्रियजन / मूक—बधिरों के विद्यालय	2,000 वर्गमीटर तक	4,000 वर्गमीटर तक
5	विश्वविद्यालय	30 एकड़	30 एकड़

### 2.स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड

	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थायें	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल
1	छोटे अस्पताल (25—50 शैक्ष्याओं तक)	3,000 वर्गमीटर तक	4500 वर्गमीटर तक

2	बड़े अस्पताल (51) शैय्याओं से अधिक)	8,000 वर्गमीटर तक	8,000 वर्गमीटर तक
---	-------------------------------------	-------------------	-------------------

### 3. सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आंवटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड

	सार्वजनिक संस्थाएँ	संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल	संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल
1	सामुदायिक केन्द्र	1500 वर्गमीटर तक	1500 वर्गमीटर तक
2	नशा मुक्ति केन्द्र	6000 वर्गमीटर तक	800 वर्गमीटर तक
3	वृद्धाश्रम / अनाथ आश्रम	1000 वर्गमीटर तक	1000 वर्गमीटर तक
4	पेंशनरों के लिए विश्राम घर	500 वर्गमीटर तक	500 वर्गमीटर तक
5	निःशक्तजन, मूक—बधिरों के लिए शिक्षण—प्रशिक्षण केन्द्र	2000 वर्गमीटर तक	2000 वर्गमीटर तक
6	सार्वजनिक प्याऊ, शौचालयों एवं मूत्रालय	200 वर्गमीटर तक	300 वर्गमीटर तक
7	वाल्मीकी भवन कुष्टाश्रम प्रेस क्लब सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय, धर्मशाला, कामकाजी	1000 वर्गमीटर तक	1500 वर्गमीटर तक
8	महिला छात्रावास, रैन बसेरे, बस शैल्टर, शमशान, कब्रिस्तान	3000 वर्गमीटर तक	4000 वर्गमीटर तक
9	विभिन्न समाजों के छात्र—छात्राओं के लिए छात्रावास	2500 वर्गमीटर तक	3000 वर्गमीटर तक ( <b>New</b> )

राजकीय विभागों को निम्न सारणी में अंकित विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 व.मी. तक
2	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर 4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 व.मी. तक
3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटी.आई सहित)	संभागीय मुख्यालय पर 10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर 13,000 व.मी. तक
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्कारास्ट्रचर हेतु भूमि आवंटन	1000 व.मी. तक
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 व.मी. तक
6	उप स्वास्थ्य भवन	500 व.मी. तक
7	पुलिस थाना	2000 व.मी. तक
8	पुलिस चौकी	500 व.मी. तक
9	अन्य ग्राम / ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय	500 व.मी. तक
10	अन्य तहसील/पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय	4000 व.मी. तक
11	अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय	5000 व.मी. तक
12	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (शहरी क्षेत्रों में शहीद स्मारक निर्माण हेतु)	500 वर्गमीटर ( <b>New</b> )
13	अन्य राजकीय कार्यालयों/विभागों/राजकीय संस्थाओं/बोर्ड/उपक्रम आदि को भी भूमि का आवंटन संबंधित निकाय की अभिशंषा पर किया जायेगा। ( <b>New</b> )	

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावें। राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल / निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।"

(50 प्रतिशत से कम नहीं हटाया जाना प्रस्तावित।

## परिशिष्ट-स

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल व दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा:-

	स्थान	विकसित भूमि होने की स्थिति में	अविकसित भूमि होने की स्थिति में
1	जयपुर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की दर+20 प्रतिशत
2	संभागीय मुख्यालय	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत
3	जिला मुख्यालय	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर	अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर+20 प्रतिशत

## परिशिष्ट-द

पंजीकृत पत्रिका को आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल व दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा:-

क्रम संख्या	समाचार पत्र का स्तर एवं क्षेत्र	भूमि का क्षेत्रफल
1	राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र राज्य में	<ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रथम आवंटन 4000 वर्गमीटर 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर</li> <li>- द्वितीय आवंटन आरक्षित दर पर</li> <li>- तृतीय आवंटन आरक्षित दर की दुगुनी दर पर</li> </ul>
2	संभागीय स्तर का समाचार पत्र राज्य में।	2500 वर्गमीटर 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर।
3	जिला स्तर का समाचार पत्र राज्य में।	1000 वर्गमीटर 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर।

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन/सार्वजनिक उपयोग, उघोग व अन्य गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन/राजकीय उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन/राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन/ बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

#### पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

1.	आवेदक का नाम/पता	
2.	शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
3.	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
4.	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	
5.	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
6.	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	
7.	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत आर्थिक संसाधनों का विवरण।	
8.	आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई	
9.	आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड का प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	

#### चार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

1.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	
2.	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्म	
3.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां, तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल।	
4.	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
5.	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
6.	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
7.	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
8.	चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद् /स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर।	

9.	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों / सदस्यों / प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण।	
10.	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	
11.	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण।	
12.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य।	
13.	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण।	
14.	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण।	
15.	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत।	
16.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगत आदेश प्रभावी है।	
17.	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएं व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो	

### प्राधिकरण / न्यास निकाय की अनुशंसा:-

हस्ताक्षर व नाम  
प्राधिकृत अधिकारी,  
नगर विकास न्यास / विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर व नाम  
सचिव,  
नगर विकास न्यास / विकास प्राधिकरण

निजी कम्पनियों, निजी निवेशकों एवं साझेदारी फर्मों को व्यावसायिक / औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कमेटी:-

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
(ii) प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(iii) मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
(iv) मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान	सदस्य
(v) निदेशक स्थानीय निकाय विभाग (स्वायत्त शासन/नगर निगम/नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों के लिये)	सदस्य
(vi) वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि	सदस्य
(vii) संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि	सदस्य
(viii) संबंधित संयुक्त शासन सचिव, नविवि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में प्राधिकरण के सचिव एवं निदेशक, नगर नियोजन, नगर विकास न्यासों से संबंधित प्रकरणों में सचिव, नगर विकास न्यास एवं नगर नियोजन से संबंधित अधिकारी, नगर निगमों/नगर परिषदों, नगर पालिकाओं के प्रकरणों में उनके मुख्य नगरपालिका अधिकारी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

संबंधित विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकेगा।

**नोट:-** भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। समिति की सिफारिश मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के समक्ष अनुमोदन, हेतु रखी जायेगी।

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी / कम्पनियों/साझेदारी फर्मों/व्यक्तिगत /राजनैतिक दलों/मीडिया प्रतिष्ठानों को आवंटन हेतु प्रार्थना—पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम/कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम/राजनैतिक दल का नाम/मीडिया प्रतिष्ठान का नाम
  2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
  3. डाक पता, टेलिफोन नं, मोबाइल नं. व मेल आई.डी
  4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
  5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
  - 6 भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
  7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को हाने वाले लाभों बाबत सक्षिप्त विवरण)
  8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
  9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- I. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/ भारत निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त संबंधित अधिसूचना।
  - II. बाइलॉज/ रेग्युलेशन्स/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन/पार्टनरशिप डीड।
  - III. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट (राजनैतिक दलों के लिए अपेक्षित नहीं)
  - IV. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
  - V. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)

VI. रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान / कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक:.....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

स्थान:.....

नाम व पद

सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना—पत्र

1. विभाग/संगठन का नाम
- 2 प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी
- 4 भूमि आवंटन का उद्देश्य
- 5 चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:-

  - I. प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति:-
  - II. चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms):-
  - III. वित्तीय स्वीकृति / बजट प्रावधान का विवरण:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक:.....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान:.....

नाम व पद